इकाई–III

भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ
1. जातिवाद एवं साम्प्रदायिकता
(Casteism & Communalism)

जातिवाद (Casteism)

जाति एक सामाजिक संरचना है जो अति प्राचीन काल से ही भारत में प्रचलित है। आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक संस्थाओं के साथ लोकतंत्र स्वीकार करने के बावजूद जातिवाद समाप्त नहीं हुआ। वोट राजनीति ने जातिवाद को और ज्यादा बढ़ाया है। दूसरी ओर जातियाँ लोकतांत्रिक राजनीति में सहभागिता की संरचनात्मक युक्ति बन गई हैं जिनके माध्यम से अब तक अधिकारहीन रहे तबकों को भी राजनीति में सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सकता है।

1.1 जाति और जातिवाद का स्वरूप (Nature of Caste & Casteism) –

भारत में जाति चिरकालीन सामाजिक व्यवस्था है। प्राचीन समय की तत्कालीन परिस्थितियों में समाज के विभिन्न वर्गों को नियमित करने के लिए वर्ण व्यवस्था का उद्‌भव हुआ था, जो कर्म व व्यवसाय के सिद्धान्त पर आधारित थी। बहुजातीय विविधतापूर्ण समाज के व्यवस्थित समन्वय व नियमन के लिए वर्ण व्यवस्था तत्कालीन सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों में अनुकूल मानी गई थी। कालांतर में विभिन्न कारणों से यह व्यवस्था विकृत होकर जाति व्यवस्था में बदल गई। इसमें कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाने से यह भेदभाव पूर्ण व विखंडनकारी प्रवृत्ति पहले जातिप्रथा और आधुनिक काल में जातिवाद के रूप में विकसित हुई जिसने भारत की एकता और अखंडता को गम्भीर चुनौती प्रदान की है। अंग्रेजों ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए इस विभेदकारी सामाजिक व्यवस्था का अपने निहित स्वार्थों के लिए प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया। उन्होनें इसका अपने औपनिवेशिक हित में फायदा उठाने का प्रयत्न किया, इसे और अधिक भड़काया। अंग्रेजो द्वारा दलित वर्गो के लिए भी पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था लागू करने की कोशिश की गयी, जिसका गांधीजी ने विरोध किया। इसी मुद्दे पर गांधीजी एवं अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ जिसमें इन वर्गो के उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था स्वीकार की गयी। अम्बेडकर ने पृथक् निर्वाचन का आग्रह छोड़ दिया। पृथक् निर्वाचन का उद्देश्य हिन्दुओं में तथाकथित उच्च एवं निम्न जातियों में फूट पैदा करना था जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं महान नेता अम्बेडकर दोनों ने समझा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राजनीति का आधुनिक स्वरूप विकसित हुआ। ऐसा माना जाने लगा था कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने के पश्चात् जातिवाद स्वत: ही समाप्त हो जाएगा किन्तु ऐसा नहीं हुआ। इस धारणा के विपरीत स्वतंत्र भारत ने न केवल समाज में ही वरन् राजनीति में भी उग्ररूप से प्रवेश कर लिया। स्वतंत्रता के बाद भी जातिवाद ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। के.एन.मेनन का निष्कर्ष सही हैं कि ''स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा हैं।'' मॉरिस जोन्स कहते हैं ''जाति के लिए राजनीति का महत्त्व एवं राजनीति के लिए जाति का महत्त्व पहले की तुलना में बढ़ गया हैं। ''स्वतंत्र भारत की राजनीति में ने जातिवादी भावनाओं को और ज्यादा उभारने का प्रयास किया। वोट बैंक बनाकर चुनाव जीत कर सत्ता पर कब्जा करने की राजनीतिक दलों एवं जन प्रतिनिधियों की आकांक्षा ने इसे सदैव बढ़ावा दिया। वर्तमान में जातिवाद ने न केवल यहाँ की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक प्रवृत्तियों को प्रभावित किया है, अपितु राजनीति को भी सर्वाधिक प्रभावित किया है।

1.2 अर्थ (Meaning) –

जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता हैं तो हम उसे जाति कहते हैं। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह होता हैं जो दूसरो से अपने को अलग मानता हैं जिसकी अपनी विशेषता होती हैं, अपनी परिधि में ही वैवाहिक सम्बन्ध करते हैं, जिनका कोई परम्परागत व्यवसाय होता हैं। जाति एक 'बंद वर्ग' है। परम्परागत रूप से जाति के सदस्य किसी एक पेशे से जुड़े होते थे, पिता का पेशा बेटा अपनाता था तथा आपस में ही शादी–ब्याह होते थे। 'जाति' मूलतः हिंदू समाज की विशेषता है किंतु अब इसका विस्तार मुस्लिम एवं ईसाई समाजों में भी हो गया है।

1.3 भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका (Role of Caste in Indian Politics) –

भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार '' जाति भारत में एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण दल है। जाति भारतीय राजनीति में कई

प्रकार की भूमिका अदा करती हैं। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को निम्न रूपों में देख सकते हैं।

1. **निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका** – भारत में जाति पर आधारित संगठित संगठन शासन की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संगठन प्राप्त अपने आरक्षण अधिकार की समय सीमा बढ़ाना चाहती हैं, जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, वे प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रही है, कुछ अपने को आरक्षित जातियों की सूची में शामिल कराने हेतु प्रयत्नशील हैं। अपनी मांगों को मनवाने हेतु वे विभिन्न प्रकार से शासन को प्रभावित करने का प्रयत्न करती हैं। जातीय संगठन अपने हितों अनुसार निर्णय करने तथा अपने हितों के प्रतिकूल होने वाले निर्णयों को रोकने हेतु निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं।
2. **राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का निर्णय** – राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के चयन करते समय जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर निर्णय करता हैं। जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य हो, वहां उसी जाति का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने का प्रयास किया जाता हैं। कई बार क्षेत्र विशेष में बाहुल्य युक्त उम्मीदवार दो दलों द्वारा चयन करने के बाद तीसरा दल क्षेत्र में दूसरे नम्बर पर आने वाली जाति के उम्मीदवार को उतारती हैं ताकि पहले–दो के वोट बंटने का फायदा तीसरे को मिले। राजनीतिक दल अपने आन्तरिक संगठनात्मक चुनावों एवं नियुक्तियों में भी जातीय समीकरण का ध्यान रखती हैं।
3. **जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार** – भारत में मतदान व्यवहार में जातिगत भावना प्रबल रूप से कार्य करती हैं तथा सभी राजनीतिक दल अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जातिवाद को भड़काने का प्रयास करते हैं। भारत में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में जातिवाद सर्वाधिक प्रभावशाली रूप से हावी रहता है।
4. **मंत्रि मंडलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व** – सभी राजनीतिक दल जातीय समीकरणों को अपने पक्ष में बनाये रखने हेतु बहुमत प्राप्त होने पर सरकार निर्माण के लिए मंत्रिमंडल निर्माण करते समय भी जातीय सन्तुलन का विशेष ध्यान रखता हैं। संघ शासन से लेकर प्रांत सरकार यहां तक कि स्थानीय शासन तक दायित्व प्रदान करते समय जातिगत लाभ–हानि का ध्यान रखा जाता हैं। कई बार केन्द्र एवं प्रांत विशेष के मंत्रिमंडल में जाति विशेष के प्रतिनिधित्व के कम होने की आलोचना होती रहती हैं।
5. **जातिगत दबाव समूह** – जातीय संगठन राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। अपने जातीय हितों के अनुसार निर्णय करने एवं जातीय हितों के विरुद्ध होने वाले निर्णयों को रोकने या बदलने हेतु सरकार पर दबाव डालते हैं। आरक्षण से वंचित जातियों के संगठन आरक्षण बनाये रखने हेतु निरन्तर सरकार पर दबाव डालते रहते हैं। मेयर के अनुसार ''जातीय संगठन राजनीतिक महत्त्व के दबाव समूह के रूप में प्रवृत्त हुए हैं।''
6. **जाति एवं प्रशासन** – भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के अलावा प्रशासन में भी जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गयी हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य पिछड़े वर्गो को भी 27% आरक्षण दिया गया हैं। माना जाता हैं कि भारत में स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारी निर्णय करते समय क्षेत्र की प्रधान एवं संगठित जातियों के नेताओं से प्रभावित हो जाते हैं। जाति के आधार पर ही आरक्षण की मांग की जा रही हैं। वर्तमान में हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में विभिन्न जातीय संगठन जाति के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
7. **राज्य राजनीति में जाति** – अखिल भारतीय राजनीति के बजाय राज्य की राजनीति में जाति की ज्यादा सक्रिय भूमिका रहती हैं। बिहार, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आन्ध्रप्रदेश, राजस्थान आदि की राजनीति का विश्लेषण बिना जातिगत गणित के किया ही नहीं जा सकता।
8. **चुनाव प्रचार में जाति का सहारा** –राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जाति का खुलकर प्रयोग करते हैं। चुनावों के समय जातीय समीकरण बैठाये जाते हैं। प्रत्येक राजनैतिक दल क्षेत्र विशेष में जिस जाति का बाहुल्य हैं उसमें उसी जाति के बड़े नेता का चुनाव प्रचार हेतु भेजने का प्रयत्न करते हैं।
9. **जाति के आधार पर राजनीतिक अभिजनों का उदय** – जो लोक जातीय संगठनों में उच्च पदों पर पहुंच गये वे ही राजनीति में भी अच्छे स्थान प्राप्त करने में सफल हुये। ऐसे लोग राजनीति में चाहे खुलकर जातिवाद का सहारा न ले फिर भी ये अपनी पृष्ठ भूमि को नहीं भूलते। वे अपने जातीय हितों की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप पैरवी करते रहते हैं।

1.4 जाति गत राजनीति की विशेषताएँ (Characteristics of Caste Based Politics)–

भारत में जाति गत राजनीति में निम्न विशेषताएं देखने को मिलती हैं।

(1) जातीय संघों अथवा संगठनों ने जातिगत राजनीतिक

महत्त्वाकांक्षा को बढ़ाया हैं। जातीय नेतृत्व जातीय हितों के मुद्दों को उठाकर जाति में अपना समर्थन बढ़ाकर राजनीतिक लाभ उठाते हैं।

(2) शिक्षा, शहरीकरण औद्योगीकरण, आधुनिकीकरण तथा लोकतंत्रीय व्यवस्था के बावजूद जातिवाद की भावना एवं एकीकरण को बल मिला हैं।

(3) क्षेत्र विशेष में कोई जाति विशेष राजनीतिक रूप से ज्यादा प्रभावशाली एवं शक्तिशाली होती हैं।

(4) जाति एवं राजनीति के सम्बन्ध गतिशील होते हैं। सदा एक जैसे नहीं रहते।

(5) जाति के राजनीतिकरण के साथ–साथ स्थानीय स्तर पर राजनीति का जातीयकरण भी हो रहा हैं।

1.5 सकारात्मक प्रभाव (Positive Impact) –

जातिवाद ने राजनीति में सकारात्मक प्रभाव भी डाले हैं। भारतीय राजनीति में जातिवाद के निम्न सकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं।

(1) जाति एवं राजनीति के सम्बन्ध ने लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया हैं। दूर–दूर रहने वाले जाति के लोग जातीय पंचायतों में एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं। विकसित संचार की तकनीक के कारण एक दूसरे से सम्पर्क बनाये रखते हैं। एक दूसरे की समस्याओं में सहायता करते हैं। शासन से अधिक से अधिक फायदा लेने के लिए अपनी जाति में एकता बनाये रखने का प्रयत्न करते हैं। इससे लोगों में सामाजिकता एवं एकता की भावना का विकास होता हैं। यही सामाजिकता एवं एकता की भावना राष्ट्रीय संदर्भ में सकारात्मक प्रभाव पैदा करती हैं।

(2) जाति की राजनीति ने अधिक लोगों में राजनीतिक सक्रियता पैदा की हैं। जाति में अपना दबदबा एवं अपने हितों की रक्षा के लिए लोग राजनीति में सक्रिय होने लगे। सामाजिक सेवा का कार्य भी करने लगे। जातीय संगठनों में सक्रिय लोग राजनीति में भी सक्रिय हो जाते हैं।

(3) जातीय सक्रियता के कारण समाज में उन जातियों का महत्त्व भी बढ़ा जो पहले राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से शक्ति विहीन थी। उन्हें प्रजातंत्र में अपनी संख्या बल का फायदा मिलने लगा। ऐसी जातियों में भी राजनीतिक जागरूकता आयी। शासन में उनकी सहभागिता बढ़ी हैं।

(4) जातिवाद के कारण सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया। जाति की राजनीति ने समाज की संस्कृति को प्रभावित किया। समाज की सभी जातियों के खान–पान, वेशभूषा, रहन–सहन, आचार विचार में निम्न जातियां उच्च जातियों का अनुसरण करती हैं अतः इन क्षेत्रों में समानता बढ़ती हैं। समाज में सांस्कृतिक एकता की स्थापना होती हैं।

(5) रूडोल्फ तथा रूडोल्फ के अनुसार जाति की राजनीति ने जातियों के पदसोपानीय संबंधों को तोड़ दिया है और विभिन्न जातियों के सदस्यों में समानता आयी हैं।

(6) जातिगत विभिन्नीकरण के चलते, भारत में कोई भी धार्मिक समुदाय एकीकृत बहुसंख्यक समुदाय नहीं बन पाता है। इसीलिए एशिया–अफ्रीका के अन्य नव–स्वतंत्र देशों के विपरीत भारत में लोकतंत्र बहुसंख्यक तानाशाही का शिकार होने से बच गया।

1.6 नकारात्मक पक्ष (Negative Impact)–

डी.आर. गाडगिल का मत है कि जाति का प्रभाव प्रजातंत्र के विकास में सहायक नहीं हैं। डा. आशीर्वादम के अनुसार भूतकाल में जाति के चाहे जो भी लाभ हो, आज प्रगति में बाधक हैं। जातिवाद से समाज में तनाव, संघर्ष पैदा होता हैं। राष्ट्रीय हित का नुकसान होता हैं, रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता हैं सरकार दबाव में कार्य करती हैं। जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध हैं। जातिवाद स्वतंत्रता के बाद बढ़ा हैं तथा सभी दल इसका सहारा लेते हैं। जातिवाद के भारतीय राजनीति पर निम्न नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।

(1) बंधुत्व एवं एकता की भावना को हानि पहुंचती हैं। अपने–अपने जातीय हितों के संघर्ष के कारण वैमनस्यता पैदा होती हैं। समाज में तनाव एवं संघर्ष का वातावरण पैदा होता हैं। सामाजिक समरसता पर चोट पहुंचती हैं। गुर्जर आंदोलन के दौरान गुर्जर व मीणा जाति के बीच कुछ क्षेत्रों में पैदा तनाव इसका उदाहरण हैं।

(2) समाज के वातावरण में अमन, चैन एवं शान्ति की जगह संघर्ष एवं अशान्ति पैदा होती हैं। जातियां अपने हितों के लिए तो संघर्ष करती ही हैं कई बार सरकार के इस प्रकार के निर्णयों से भी देश एवं समाज में अशान्ति पैदा हो जाती है।

(3) जाति के आधार पर चुनाव लड़ना एवं जातिगत आग्रह के आधार पर मतदान करना जातिवाद का ही परिणाम हैं। जाति के आधार पर मतदान करने से योग्य व्यक्ति चुनाव हार जाते हैं। जीतने वाला व्यक्ति भी पूरे समाज के प्रति दायित्व बोध न समझकर जातीय वफादारी पर ध्यान देता हैं। यह देश एवं समाज दोनों के लिए घातक हैं। देश का शासन अयोग्य लोगों के हाथ में चला जाता हैं जो देश का भला नहीं कर सकते।

(4) जातिवादी भावना के कारण नागरिकों की श्रद्धा एवं भक्ति बंट जाती हैं। देश के प्रति भक्ति कम हो जाती हैं। लोग राष्ट्रीय हितों के बजाय जातीय हितों को प्राथमिकता देने लग जाते हैं। ये प्रवृत्तियां देश की एकता, भाईचारे तथा विकास में बाधा पैदा करती हैं।

(5) जातिवाद के कारण से राजनीतिक दलों का निर्माण भी जाति के आधार पर होने लगता है। स्वस्थ लोकतंत्र के विकास के लिए राजनीतिक दलों का गठन आर्थिक एवं राजनीतिक विचारधारा पर होना चाहिये। जातिवादी भावना से सिद्धान्त एवं विचार गौण हो जाते हैं।

(6) जातिवादी सोच रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती हैं जिसमें वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता। आधुनिक दृष्टिकोण का विकास अवरुद्ध हो जाता हैं। जातिवाद परम्परावाद का बढ़ावा देती हैं।

(7) अल्प संख्यक जाति या समुदाय के लोगों में असुरक्षा की भावना का विकास होता हैं।

(8) सरकारें बड़ी एवं शक्तिशाली जातीय संगठनों के दवाब में कार्य करती हैं अतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सम्पूर्ण समाज हित में निर्णय लेने से बचने का प्रयास करती हैं।

(9) कभी–कभी जातीय संगठनों के आंदोलन या संघर्ष हिंसक रूप ले लेते है। तोड़ फोड़ की जाती हैं तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता हैं। औद्योगिक विकास एवं व्यापार का भारी नुकसान होता हैं। सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट किया जाता हैं।

(10) जातिवाद लोकतंत्रीय भावना के विरुद्ध होता हैं। यह स्वतंत्रता समानता व बन्धुत्व जैसे लोकतंत्रीय मूल्यों को नुकसान पहुंचाता हैं। समाज में फूट, विखण्डन एवं संकीर्ण हितों को प्रोत्साहित करती हैं।

(11) वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा – राजनीतिक दल एवं नेता किसी जाति को अपना वोट बैंक बनाने हेतु उसकी उचित अनुचित बातों एवं मांगों का समर्थन करते रहते हैं उन्हें प्रोत्साहित करते रहते हैं जो राष्ट्रीय हित के लिए घातक हैं। राष्ट्रीय हितों के बजाय जातीय हितों को अधिक महत्त्व दिया जाता हैं।

निष्कर्ष (Conclusion) –

कहा जा सकता है कि आधुनिक भारतीय समाज में जातिगत भेद–भाव केंसर एवं एड्स जैसे भयंकर रोगों की तरह सर्वत्र फैल गया है, जिसका निदान असम्भव है। इसलिए भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन करना अत्यन्त जटिल कार्य है। यह केवल व्यक्ति –व्यक्ति के बीच खाई ही पैदा नहीं करती, अपितु राष्ट्रीय एकता के मार्ग में भी बाधा उत्पन्न कर रही है। आज राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा जातिगत हितों को विशेष महत्त्व दिया जा रहा है, जिसके कारण हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम.एन श्रीनिवास का मत है '' परम्परावादी जाति व्यवस्था ने प्रगतिशील और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को इस तरह प्रभावित किया है कि ये राजनीतिक संस्थाएँ अपने मूलरूप में कार्य करने में समर्थ नहीं रही है।''
डी.आर. गाडगिल के शब्दों में '' क्षेत्रीय दबावों से कहीं ज्यादा खतरनाक बात यह है कि वर्तमान काल में जाति व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने में बाधक सिद्ध हुई है। '' अतः जातिवाद देश, समाज और राजनीति के लिए बाधक है। लोकतन्त्र व्यक्ति को इकाई मानता है न कि किसी जाति या समूह को। जाति और समूह के आतंक से मुक्त रखना ही लोकतंत्र का आग्रह है।

साम्प्रदायिकता (Communalism)

1.7 अर्थ एवं परिभाषा (Meaning & Definition) –

जब एक धार्मिक समूह या समुदाय समझ बूझकर अपने को अलग वर्ग मानकर धार्मिक सांस्कृतिक भेदों के आधार पर अपने लौकिक हितों की भिन्नता को रेखांकित करता है। अपनी मांगों को राष्ट्रीय एवं सामाजिक हितो से अधिक प्राथमिकता देता हैं उसे साम्प्रदायिकता कहा जा सकता हैं। विन्सेण्ट स्मिथ के अनुसार – ''एक साम्प्रदायिक व्यक्ति या समूह वह है जो कि प्रत्येक धार्मिक एवं भाषाई समूह को एक ऐसी पृथक् सामाजिक तथा राजनीतिक इकाई मानता हैं, जिसके हित अन्य समूह से पृथक् होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। एसे ही व्यक्तियों या व्यक्ति समूह की विचारधारा को सम्प्रदायवाद या साम्प्रदायिक कहा जायेगा।''

1.8 साम्प्रदायिक संगठनों का उद्देश्य (Objective of Communal Organisations)–

शासको के उपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना होता हैं। एसे समूह राष्ट्रीय एवं सामाजिक हितों के उपर अपने समूह के हितों को अधिक प्राथमिकता देते हैं जिससे समाज में फूट पैदा होती हैं।

1.9 साम्प्रदायिकता का उदय (Origin of Communalism) –

भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या ब्रिटिश शासन की समकालीन हैं। ब्रिटिश सरकार ने ''फूट डालो और राज करो'' की नीति अपनाई ताकि हिन्दू मुसलमान लड़ते रहे तथा वे अपना शासन आराम से चलाते रहे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के निर्माण एवं विकास में जितना हाथ अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल का हाथ रहा उतना ही हिन्दुओं एवं

मुसलमानों के बीच राजनीतिक संघर्षो का भी। विभिन्न वर्गों की सत्ता की महत्त्वाकांक्षा के कारण भारतीय राजनीति में कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच ब्रिटिश सरकार मदारी की भूमिका अदा करने लगी। मेहता और पटवर्द्धन ''अंग्रेजी शासकों ने अपने आपको हिन्दू मुसलमानों के मध्य में खड़ा करके ऐसे साम्प्रदायिक त्रिभुज की रचना का निश्चय किया जिसके आधार बिन्दु वे स्वयं रहे।''

ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण भारत में साम्प्रदायिकता बढ़ती रही। 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह में हिन्दू–मुस्लिम एकजुटता से घबराकर ब्रिटिश राज ने इस एकता को तोड़ने की रणनीति बनाई। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुस्लिमों को विद्रोह का सूत्रधार मानते हुए, उनकी उपेक्षा और हिन्दुओं को बढ़ावा दिया। फिर हिन्दुओं के विकास एवं आधुनिकीकरण के कारण मुसलमानों को विशेष रियायतें देकर राजी करने का प्रयास किया। 1905 में लार्ड कर्जन ने साम्प्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया। भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर 1906 में आल इण्डिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्दति की शुरुआत कर ब्रिटिश सरकार ने इस समस्या को ओर अधिक बढ़ाया। 1940 में जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धान्त का प्रतिपादन किया और अन्त में 1947 में साम्प्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन हुआ।

1.10 साम्प्रदायिक समस्या के कारण (Causes of Problem of Communalism)–

स्वतंत्रता से पूर्व को अंग्रेजों ने इस समस्या को बनाये रखा लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी साम्प्रदायिक समस्या भारतीय राजनीति की एक समस्या बनी हुई है। इसके निम्न कारण हैं –

1. **विभाजन की कटु स्मृतियाँ** – मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई ने साम्प्रदायिक वैमनस्य को चरम पर पहुंचा दिया था। स्वतंत्रता के साथ ही देश का विभाजन हुआ। देश के विभिन्न भागों में हिंसा भड़क उठी। लाखों लोग विस्थापित हुए विभाजन में जो क्षेत्र पाकिस्तान में आये वहां से लाखों लोगों को अपना घर बार, सम्पत्ति सब कुछ छोड़ कर भागना पड़ा। कई लोगों की हत्याएं हुई, महिलाओं एवं लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, परिवार बिछुड़ गये, बच्चे अनाथ हो गये। इसकी प्रतिक्रिया भारतीय क्षेत्रों में भी कही–कही देखने को मिली। अपनों का अपनों के सामने इस प्रकार कत्लेआम देखना लोगों की स्मृतियों में बना रहा। इस मानसिकता के कारण जब भी छोटी सी घटना होती हैं वह बड़ा रूप ले लेती हैं। घटना से प्रभावित लोगों के परिवार आज भी उस भयावह घटनाओं को भुला नहीं पाये हैं।
2. **राजनीतिक दलों द्वारा निहीत स्वार्थो के लिए पृथक्करण की भावना पनपाना** – स्वतंत्रता प्राप्ति व विभाजन के पूर्व व पश्चात् भारत में कई राजनीतिक दलों व संगठनों का गठन धार्मिक आधार पर हुआ है। इनमें हिन्दू महासभा, अकाली दल, जमाएत–ए–इस्लाम, ऑल इण्डिया मजलिस–ए–इत्तेहादल मुसलीमीन, ऑल इण्डिया मुस्लिम लीग व विद्यार्थी संगठन (SIMI) प्रमुख हैं। दुर्भाग्यवश इन संगठनों ने अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए धार्मिक आधार पर राजनीति करना प्रारंभ कर दिया, जिससे एक वर्ग विशेष में अलगाववाद की प्रवृत्ति विकसित हुई है।
3. **मुसलमानों का आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन** – ब्रिटिश शासन काल से ही मुसलमान शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े रहे। नौकरी, व्यापार एवं उद्योग–धन्धों में उनकी स्थिति सुधर नहीं पायी। मुस्लिम समाज का आधुनिकीकरण नहीं हो पाया इससे उनमें असन्तोष बढ़ा जिसका फायदा राजनीतिक महात्वाकांक्षा से युक्त लोगों ने उठाया। उन्होंने मुस्लिम समाज में विकास करने के बजाय असन्तोष को ओर अधिक बढ़ाने का प्रयास किया। अब तक जो नेता एवं पार्टियां मुस्लिम राजनीति के केन्द्र में रही, उन्होंने मुसलमानों को अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूति के लिए उन्होंने प्रतिगामी मुद्दों के दायरे से बाहर निकलने ही नहीं दिया है। बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करके उन्हें शिक्षा एवं आधुनिकता से जोड़ना आज की महत्ती आवश्यकता है।
4. **पाकिस्तानी प्रचार और षडयंत्र** – पाकिस्तानी मीडिया भी हिन्दू मुस्लिम तनाव को बढ़ा चढ़ा कर मुसलमानों के विरुद्ध योजनाबद्ध षड़यंत्र की तरह प्रचार करती हैं। 1981 से 93 के बीच पाकिस्तान ने हिन्दुओं एवं सिक्खों के बीच साम्प्रदायिक वैमनस्य को पैदा करने एवं बनाये रखने का हर सम्भव प्रयास किया। मार्च 1993 की बम्बई बम विस्फोट की घटनाएं पाकिस्तानी षड़यंत्र का परिणाम थी जिसका उद्देश्य हिन्दुओं मुसलमानों में खूनी संघर्ष पैदा करना था। पाकिस्तान कश्मीर में भारतीय सेनाओं को मुसलमानों पर अत्याचारों के लिए प्रचारित करता है।
5. **सरकार की उदासीनता** :– सरकार एवं प्रशासन की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण भी कई बार साम्प्रदायिक दंगे विशाल रूप से भड़क जाते हैं। छोटी सी घटना बड़ा रूप ले लेती हैं।
6. **दलीय राजनीति, गुटीय राजनीति और चुनावी राजनीति** – साम्प्रदायिकता की समस्या के लिए राजनीतिक दलों की संकुचित दलीय हितों की राजनीति भी जिम्मेदार हैं। कई राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए साम्प्रदायिक वैमनस्य को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। 1950 से लेकर अब तक जितने भी दंगे हुये, उनमें से

अनेक का परोक्ष कारण दलीय एवं गुटीय राजनीति रही व वरिष्ठ पत्रकार निखिल चक्रवर्ती कहते हैं कि ''सभी दंगों का मूल कारण राजनीतिक होता हैं और ये दंगे अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा करवाये जाते हैं।''

7. **तुष्टीकरण की राजनीति** – सरकारों द्वारा वर्ग विशेष के वोटों के लिए उनकी उचित अनुचित मांगों को मान लेना, उन्हें विशेष रियायते व विशेषाधिकार देने के कारण अन्य सम्प्रदायों में ईर्ष्या की भावना पैदा होना स्वाभाविक हैं। ऐसी गतिविधि विभिन्न सम्प्रदायों में आपसी तनाव पैदा करती हैं। जिनको तुष्टीकरण के कारण विशेष रियायतें दी जाती हैं वे वर्ग फिर उनको अपना अधिकार मान लेते है जिससे दूसरे वर्गो में असन्तोष पैदा होता हैं।
8. **वोट बैंक की राजनीति** – कुछ राजनीतिक दल किसी वर्ग विशेष को अपना वोट बैंक बनाने हेतु उसके सभी सही गलत कदमों का समर्थन करते हैं तो प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरे राजनीतिक दल दूसरे वर्गो को समर्थन देते हैं इस प्रकार तनाव को बढ़ावा मिलता हैं। वोट बैंक की राजनीति के कारण जब वर्ग विशेष को अन्य की उपेक्षा कुछ विशेष दिया जाता हैं तो समाज में तनाव पैदा होना स्वाभाविक हैं।

1.11 साम्प्रदायिकता के दुष्परिणाम (Repercussions of Communalism) –

साम्प्रदायिकता के कारण ना सिर्फ राष्ट्रीय एकता अखण्डता को खतरा पैदा हुआ है बल्कि विकास की प्रक्रिया भी अवरूद्ध हुई है। साम्प्रदायिकता के कारण देश के दुकड़े हुए जो आज भी अखण्डता के लिए खतरा बनी हुयी है। साम्प्रदायिक समस्या के कारण देश को कई दुष्परिणाम भोगने पड़े।

1. **आपसी द्वेष** – साम्प्रदायिकता के कारण समाज में फूट पड गयी, आपसी द्वेष एवं अविश्वास पैदा हुआ। समाज में आपसी समरसता का वातावरण नहीं रहा जिसके कारण छोटी सी घटना भयंकर साम्प्रदायिकता का रूप ले लेती है। समाज में शान्ति व्यवस्था एवं भाईचारे की भावना खत्म हो जाती है एवं विविधता में एकता का भाव खत्म हो जाता है।
2. **आर्थिक हानि** – साम्प्रदायिक दंगें भडकने पर भयंकर विनाश होता है। गाड़ियां व बाजार जला दिये जाते हैं एवं राष्ट्रीय सम्पति को नष्ट कर दिया जाता है। दंगों के कारण कर्फ्यू वगैरह के कारण कई दिनों तक बाजार बंद रहते हैं जिसके कारण आर्थिक नुकसान के साथ दैनिक मजदूरी पर गुजारा करने वाले लोगों के सामने भुखमरी की नौबत आ जाती हैं।
3. **प्राण हानि** – साम्प्रदायिक दंगों मे सैकड़ों लोग मारे जाते हैं तथा हजारों घर उजाड़ दिये जाते हैं। रांची, श्रीनगर, वाराणसी, अलीगढ़, हैदराबाद, मेरठ, बम्बई आदि के दंगे इसका उदाहरण हैं जिनमें मरने वालों के अलावा हजारों लोग अपंग व अपाहिज हो गये।
4. **राजनीतिक अस्थिरता** – साम्प्रदायिक समस्या के कारण एसी राजनीतिक समस्याएं पैदा हो जाती है जिससे सरकारों की स्थिरता प्रभावित होती हैं। अस्थायी सरकार स्थायी विकास के कार्य नहीं कर पाती। वह सदा अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील होती हैं जिससे विकास कार्यो में पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाती। फलस्वरूप देश के विकास की गति अवरुद्ध होती हैं।
5. **राष्ट्रीय एकता में बाधा** – साम्प्रदायिकता राष्ट्रीय एकता एवं भाईचारे की भावना को नष्ट करती हैं। समाज में फूट पैदा कर सामाजिक समरसता को खत्म करती हैं। उल्लेखनीय है कि बहुसंख्यक–साम्प्रदायिकता स्वयं को राष्ट्रवाद के छद्म रूप में पेश की करती है, जबकि अल्पसंख्यक–साम्प्रदायिकता का अलगाववादी स्वरूप मुखर होता है। राष्ट्रीय एकता के लिए इन दोनों से सावधान रहना जरूरी है।
6. **राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा** – भारत एक बहु सम्प्रदायी देश है इसमें अनेक सम्प्रदायों के लोग निवास करते हैं। देश में शान्ति एवं व्यवस्था के साथ विकास के लिए सबको मिलजुल कर रहना आवश्यकता है लेकिन उग्र साम्प्रदायिक भावनाएं एकता को पनपने ही नहीं देती।
7. **औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास में बाधा** –देश का औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास शान्ति एवं सुव्यवस्था में ही हो सकता हैं। अशान्ति एवं हिंसा के वातावरण में कोई पूंजीपति अपना धन नहीं लगायेगा। इस प्रकार साम्प्रदायिक अशान्ति देश का औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास अवरुद्ध कर देती हैं। विकास शान्ति एवं सुव्यवस्था में ही हो सकता हैं। पंजाब में पैदा इसी प्रकार की अशान्ति ने पंजाब को आर्थिक विकास के पथ पर कई वर्ष पीछे कर दिया था।

1.12 साम्प्रदायिकता को दूर करने के सुझाव (Suggestions to Remove Communalism)–

साम्प्रदायिकता देश के लिए ही नहीं सम्पूर्ण मानवता के लिए एक गम्भीर अभिशाप हैं। देश को इससे बहुत कुछ भुगतना पड़ा हैं। देश की एकता एवं अखण्डता पर खतरा हैं, प्रगति एवं विकास में बाधक हैं। इसलिए साम्प्रदायिकता को दूर किया जाना चाहिये। साम्प्रदायिकता को दूर करने के लिए निम्न – निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं।

1. सरकार को सदैव ही इस बात का ध्यान रखना चाहिये

कि उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाये, जिससे साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन मिले। समानता के सम्बन्ध में आदर्शो की बातें करने के बजाय उसे व्यावहारिक रूप से क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

2. शिक्षा में शाश्वत नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिये। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य हैं लेकिन शाश्वत नैतिक जीवन मूल्यों की शिक्षा तो सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिये। धर्म विशेष की शिक्षा की जगह देश भक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने वाली शिक्षा होनी चाहिये।
3. धर्म के आधार पर किसी धार्मिक वर्ग के लिए कोई विशेष रियायतें या सुविधाएं न दी जाये जिससे अन्य धर्मो के लोगों में ईर्ष्या भावना पैदा हो। धर्म एवं जाति के आधार पर इस तरह का भेदभाव आपसी तनाव पैदा करता है जिससे बंधुत्व की भावना खत्म होती हैं।
4. अल्प संख्यकों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हो सरकार ऐसी व्यवस्था करे, इसके लिए उन्हें विशेष अवसर दिये जाएं।
5. साम्प्रदायिकता का एक सबसे बड़ा कारण चुनावी राजनीति हैं। राजनीतिक दल चुनावों फायदा उठाने हेतु साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं इस पर कड़ा प्रतिबंध होना चाहिये। किसी भी दल को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनाव प्रचार में धर्म का सहारा लेने से रोकने हेतु दृढ़ व सुनिश्चित नियमों का निर्माण व क्रियान्वयन अतिआवश्यक है।
6. समय–समय पर साम्प्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांगों को दृढ़ता से ठुकराना होगा। नागरिकों में एक राष्ट्र की भावना पैदा करनी होगी।
7. शिक्षा से दृष्टिकोण उदार बनता हैं तथा व्यक्ति का मानसिक विकास होता हैं। अशिक्षित व्यक्ति धर्म का संकीर्ण एवं अपने स्वार्थ में प्रयोग करने वालों के बहकावे में अधिक आ जाते हैं।
8. सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये। साहित्य एवं मीडिया द्वारा भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये। जिससे लोगों को एक दूसरे के धर्म की जानकारी मिल सके व धार्मिक सहिष्णुता पैदा हो सके।
9. धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन न हो तथा धार्मिक संगठनों को राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबंध हो। साम्प्रदायिक संगठनों पर पूर्ण प्रतिबंध हो।

सच्चर कमेटी प्रतिवेदन, 2006 – भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने व उसमें सुधार लाने के लिए सुझाव देने हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह सच्चर की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। सच्चर कमेटी ने मुसलमानों की स्थिति का अध्ययन कर कुछ सुझाव दिये। जिसके तहत अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं विकास के लिए 15 सूची कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, मुस्लिम बालिकाओं के लिए सुविधाएं आदि। कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की मांग की। तत्कालीन केन्द्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग कोटे मे से 4.5 प्रतिशत आरक्षण अल्पसंख्यकों को देने का निर्णय किया जिसे पहले आन्ध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण को अस्वीकार किया गया हैं।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- जातिवाद एवं साम्प्रदायिकता दोनों ही भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण तत्व है।
- जाति एक सामाजिक संरचना है जो अति प्राचीन काल से ही भारत में प्रचलित है।
- वोट राजनीति ने जातिवाद को और ज्यादा बढ़ाया है।
- धार्मिक समूहों द्वारा अपने को अलग वर्ग मान कर अपने वर्गीय हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक प्राथमिकता देने को साम्प्रदायिकता कहा जाता है।
- ब्रिटिश सरकार की " फूट डालो और राज करो" नीति साम्प्रदायिकता का कारण।
- विभिन्न समुदायों का शैक्षिक, आर्थिक पिछड़ापन एवं पृथक्कता की भावना, पाकिस्तान प्रचार, सरकारी उदासीनता दलीय राजनीति, तुष्टीकरण की नीति, वोट बैंक की राजनीति तथा विदेशी धन।

अभ्यासार्थ प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न

1. जाति भारत में एक महत्त्वपूर्ण दल हैं। निम्न में से किस विद्वान ने कहा हैं–
(अ) महात्मा गांधी (ब) स्वामी विवेकानन्द
(स) जयप्रकाश नारायण (द) सरदार पटेल ( )
2. निम्न में से कौन सा कथन असत्य हैं–
(अ) जाति निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं।
(ब) राजनीतिक दल जातिगत आधार पर उम्मीदवार खड़े नहीं करते हैं।
(स) राज्यों की राजनीतिक में जाति का प्रभाव अधिक हैं।
(द) मतदाता सामान्यतया जातिगत आधार पर मतदान करते हैं। ( )

3. निम्न में से कौन से राज्य की राजनीति में जाति का प्रभाव ज्यादा हैं–
   (अ) बिहार (ब) उत्तरप्रदेश
   (स) आंध्रप्रदेश (द) उपर्युक्त सभी ( )
4. भारत विभाजन का प्रमुख कारण क्या था?
   (अ) जातिवाद (ब) साम्प्रदायिकता
   (स) भाषावाद (द) भ्रष्टाचार ( )
5. गुजरात के गोधरा में साम्प्रदायिक घटना हुई –
   (अ) फरवरी 2002 (ब) मार्च 2001
   (स) फरवरी 1992 (द) दिसम्बर 1995 ( )
6. साम्प्रदायिकता का प्रमुख दुष्परिणाम होता हैं–
   (अ) राजनीतिक अस्थिरता
   (ब) राष्ट्रीय एकता में बाधा
   (स) आर्थिक हानि
   (द) उपर्युक्त सभी ( )

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. जातिवाद किसे कहते हैं?
2. वैदिक काल में जाति का आधार क्या होता था?
3. साम्प्रदायिकता किसे कहते हैं?
4. ब्रिटिश सरकार की कौन सी नीति में भारत में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया हैं?
5. साम्प्रदायिकता के दो दुष्परिणाम बताईये।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. भारतीय चुनावों में जाति की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
2. साम्प्रदायिकता के कोई दो कारण बताईये।
3. निर्णय प्रक्रिया को जाति किस प्रकार प्रभावित करती हैं।
4. "साम्प्रदायिकता को ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने बढ़ाया" कथन को स्पष्ट कीजिए।
5. साम्प्रदायिकता बढ़ाने में विदेशी प्रचार का प्रभाव कैसे पड़ता हैं?

निबन्धात्मक प्रश्न

1. जाति का क्या तात्पर्य हैं। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।
2. साम्प्रदायिकता क्या हैं? इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए।
3. साम्प्रदायिकता के दुष्परिणामों का विश्लेषण कीजिए।
4. भारतीय राजनीति में जाति की सकारात्मक एवं नकारात्मक भूमिकाओं को स्पष्ट कीजिए।

बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर

1. स	2. ब	3. द	4. ब
5. अ	6. द		

2. क्षेत्रवाद एवं भाषावाद
(Regionalism & Lingualism)

हमारा देश विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई भिन्नता विद्यमान है। यद्यपि ये भिन्नताएँ हमारे लिए कौतूहल का कारण बनती है तो कई बार अतिवादिता के कारण शासन के लिए व्यवस्था निर्माण में समस्या भी पैदा करती है। आजादी के समय हमारा भारत आर्थिक दृष्टि से ज्यादा सक्षम राष्ट्र नहीं था। विदेशी शासकों द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था का अत्यधिक दोहन व प्रान्तों का असंतुलित विकास इसका प्रमुख कारण रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त हमारी संघीय सरकार ने राज्य पुनर्गठन व अन्य उपायों द्वारा असंतुलन की इस अवस्था को ठीक करने का प्रयास किया। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इत्यादि के कारण क्षेत्रीय भिन्नताएँ मौजूद रही। स्वतंत्रता के पश्चात् राज्यों के गठन की प्रकिया भी इसका एक कारण रही। राज्यों का निर्माण, ब्रिटिश प्रान्तों के विलय, देशी रियासतों के एकीकरण एवं राजनीतिक सामाजिक एकीकरण के फलस्वरूप हुआ।

जाति, धर्म, सम्प्रदाय, व्यक्ति विशेष की अग्रणी छवि आदि ने भी राज्य पुनर्गठन की प्रकिया को प्रभावित किया। आर्थिक विकास का स्तर, नौकरशाही की राजनीति प्रतिबद्धता, क्षेत्रीय आकांक्षाएँ भौगोलिक स्वरूप के कारण भी राज्यों में क्षेत्रीय असन्तुलन विद्यमान रहा। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान एकमात्र लक्ष्य आजादी प्राप्त करना था। उस दौर में ये आकांक्षाएँ गौण रही, किन्तु 1947 के पश्चात् ये पुनः प्रधान हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विभिन्न प्रान्तों की इन माँगों ने क्षेत्रवाद की भावनाओं को बलवती किया।

- राज्यों के पुनर्गठन की माँग।
- नवीन राज्य निर्माण की माँग।
- भारत संघ में ही अधिक स्वायत्तता की आकांक्षा।
- प्राकृतिक संसाधनों के वितरण सम्बन्धी विवाद।
- केन्द्र से अधिकाधिक आर्थिक सहायता प्राप्त करना।
- अधिकाधिक राजनीतिक सहभागिता का दावा।

2.1 क्षेत्रवाद क्या है?
(What is Regionalism ?)

स्थानीय निवासियों द्वारा संघ या राज्य की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष या प्रान्त से लगाव व उसकी प्रोन्नति के विशेष प्रयास क्षेत्रवाद की श्रेणी में आते है। क्षेत्रवाद का उद्देश्य है अपने संकीर्ण क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति। यह ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें क्षेत्र विशेष के लोग आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक शक्तियों की अन्य से अधिक माँग करते हैं।

2.2 क्षेत्रवाद के कारण
(Causes of Regionalism) –

1. प्रकृति प्रदत्त भिन्नताएँ व असमानताएँ।
2. प्रशासन द्वारा संसाधनों के समान वितरण का अभाव या प्रशासनिक भेदभाव।
3. केन्द्रीय निवेश व विकास सम्बन्धी भिन्नता।
4. ऐतिहासिक एवं राजनीतिक कारण।
5. सांस्कृतिक विविधताएँ।
6. भाषायी विविधता से क्षेत्रवाद की भावना को बल।

संकीर्ण क्षेत्रीय आकांक्षाओं के राष्ट्र को अनेक दुष्परिणाम झेलने पड़ते है जैसे–

1. **देश की अखण्डता को चुनौती** – क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बलवती होने की प्रक्रिया में राष्ट्र की एकता व अखंडता को गौण कर दिया जाता है, यहाँ तक कि इसके उग्र स्वरूप में तो कई बार पृथकतावाद का भाव भी पनपने लगता है जो राष्ट्रीय अस्मिता को चुनौती दे डालता है। क्षेत्र विशेष का संघ सरकार व उसकी नीतियों से भरोसा उठ जाता है। हमारी राष्ट्रीय राजनीति में पिछले सात दशकों का अनुभव इस सम्बन्ध में अच्छा नहीं रहा है।
2. **नए राज्यों की माँग** –
3. **क्षेत्रीय राजनीति एवं राजनीतिक दलों का प्राबल्य**
4. **भूमि–पुत्र की अवधारणा**
5. **स्वयंभू नेताओं का उदय।**
6. **राष्ट्रीय कानूनों व आदेशों को चुनौती** – अराजकता की स्थिति का पनपना
7. **अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देश की साख खराब होना** – आंतरिक क्षेत्रीय समस्याओं का हमारी अन्तर्राष्ट्रीय छवि को खराब करता है। कभी मानवाधिकार के नाम पर तो कभी लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरक्षण के नाम पर अन्य राष्ट्र हमारी क्षेत्रवाद के आधार पर उठ रही माँगों की आड़ में अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर आलोचनाएँ करते हैं।

2.3 क्षेत्रवाद की समस्या का समाधान (Resolution of Problem of Regionalism) –

समस्या के समाधान का उपाय उसके कारणों में निहित होता है। क्षेत्रवाद पनपने के कारणों को समाप्त करने से ही इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ उपाय जिनसे हम क्षेत्रवाद की समस्या से राहत पा सकते हैं –

1. **संतुलित राष्ट्रीय नीति निर्माण** – केन्द्र सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह सभी क्षेत्रों के समान विकास हेतु नीति निर्माण के समय राजनीतिक भेदभाव किए बिना संतुलित व समदर्शी नीति निर्माण करे। छोटे व संसाधनों की दृष्टि से अपेक्षाकृत कमजोर क्षेत्रों/राज्यों के विकास को भी समान प्राथमिकता दें तो धीरे–धीरे वहाँ के निवासियों में विश्वास पैदा होता जाएगा व क्षेत्रवाद का उग्र स्वरूप शान्त होगा।
2. **राज्यों में स्थाई आधारभूत ढाँचागत विकास** – क्षेत्रीय भिन्नताओं में कमी लाने के लिए पिछड़े व अविकसित क्षेत्रों में सिंचाई, बिजली, यातायात व संचार के आधारभूत साधनों के विकास को प्राथमिकता देनी होगी, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम सामने आयेंगे।
3. **विकास के विशेष कार्यक्रमों का परियोजनाओं के रूप में प्रारम्भ किया जाना** – यह प्रक्रिया सरकार ने प्रारम्भ कर भी दी है। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) मरु विकास कार्यक्रम (DDP) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (AADP) जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम (TADP) विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना आदि से क्षेत्रीय असंतुलन कम किया जा सकता है।
4. **प्रशासनिक दृष्टि से छोटे राज्यों का गठन** – छोटे–छोटे राज्यों से प्रान्तीय सरकारों द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाए जा सकते हैं। केन्द्रीय करों के वितरण में ही हिस्सेदारी बढ़ती है।
5. **सांस्कृतिक भिन्नता को एकीकरण की ताकत बनाना** – दूरदर्शन, रेडियो, समाचार–पत्रों व अन्य सम्प्रेषण माध्यमों द्वारा भिन्नता को ही ताकत के रूप में उभारना हमारी पहल हो। संस्कृतियों की पहचान व प्रतिष्ठा देना व उन्हें एक–दूसरे के साथ साहचर्य भाव से जोड़ना एकीकरण का माध्यम हो सकती है।
6. **भाषायी विविधता का सम्मान** – हमारा संविधान भी इन्हें मान्यता देकर विविधता को स्वीकार कर चुका है। हमें सभी प्रान्तों को भाषाओं को परस्पर सम्मान देना होगा। अनुवाद का दायरा बढ़ाना होगा। विद्यालय पाठ्यक्रम में इन्हें समुचित स्थान देना होगा।

भाषावाद (Lingualism)

हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिन्दी होगी। हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग व क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति पर सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा भाषा आयोग के गठन का भी प्रावधान है। यह आयोग देश की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के सम्बन्ध में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों की उचित माँगों पर भी विचार करेगा। इसके साथ ही संविधान राज्य के विधानमण्डलों को भी यह अधिकार प्रदान करता है कि वे उस राज्य में राजकीय प्रयोजन हेतु हिन्दी या उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा को स्वीकार कर सकेगा। परस्पर सहमति से यह व्यवस्था दो या अधिक राज्य भी स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में भाषायी अल्प संख्यको के अधिकारों की पूर्ण रक्षा के भी स्पष्ट प्रावधान है।

2.4 पृष्ठभूमि (Background) –

संविधान में इनहीं व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने हेतु 1955 में पहला राजभाषा आयोग प्रो. बी.जी. खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया। 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम द्वारा त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने का सुझाव आया। इसके तहत सरकारी सेवाओं में पत्राचार के साथ–साथ प्रतियोगी परीक्षाएँ हिन्दी, अंग्रेजी व अन्य प्रादेशिक भाषा में ली जाएगी। हिन्दी का निरन्तर विकास भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा होगा। इन स्पष्ट प्रावधानों के होते हुए भी हमारे देश में हिन्दी भाषा के विकास में बाधाएँ निरन्तर बनी हुई है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन एवं दक्षिण के कुछ राज्यों में हिन्दी विरोधी आन्दोलन विचारणीय मुद्दे रहे है। भाषा के आधार पर नये राज्यों के निर्माण की माँग में ही भाषावाद की संकीर्णताएँ निहित है। किसी क्षेत्रीय भाषा का विकास हो इसमें अन्य नागरिकों को कोई आपत्ति नहीं हो सकती किन्तु क्षेत्रीय भाषा के विकास में हिन्दी को बाधक मानना व उसका हिसंक तरीकों से विरोध राष्ट्रीय अस्मिता के लिए ठीक नहीं है। ' हिन्दी साम्राज्यवाद ' का असुरक्षा भाव समाप्त कर अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में विश्वास स्थापित करना देश की प्राथमिकता हो, जिससे 'त्रिभाषा फॉर्मूला' व्यावहारिक रूप धारण कर सकें।

पारिवारिक एवं क्षेत्रीय भाषाएँ कभी भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं ले सकती व न ही इन्हें देश की राजभाषा से कोई चुनौती महसूस होनी चाहिए। भाषायी विविधताएँ समाज का एक स्वाभाविक लक्षण है, जिसे सहज रूप से स्वीकारना चाहिए। भाषायी आधार पर आन्दोलन कुछ स्वयंभू नेताओं के अस्तित्व अनुरक्षण के व्यायाम है, आम नागरिक को यह समझना और समझाना आवश्यक है। शासन का भी यह दायित्व बनता है कि वे संसाधनों, रोजगार के अवसरों का समान वितरण बिना किसी भाषायी भेदभाव के करें। सर्वत्र

कानून का शासन हो, न कि भाषायी बहुसंख्यक की स्वेच्छचारिता का शासन। हमारे राज्य में भी राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलवाने हेतु शान्तिपूर्वक आन्दोलन किए जा रहे है।

2.5 भाषावाद की समस्या के समाधान के उपाय (Measures to Resolve the Problem of Lingualism)–

भाषा के आधार पर उग्र आन्दोलन राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए एक चुनौती है इनके शान्तिपूर्वक हल निकालने चाहिए, कुछ उपाय ये भी हो सकते हैं –

1. परस्पर समझाईश व प्रेरित करना, बहुसंख्यक हिन्दी भाषा –भाषियों का दायित्व बनता है कि अहिन्दी भाषी राज्यों को समझाईश द्वारा प्रेरित करे कि हिन्दी किसी भी रूप में प्रादेशिक भाषा के लिए चुनौती नहीं बल्कि सहायक है।
2. हिन्दी का प्रचार–प्रसार सुनियोजित तरीके से सभी को विश्वास में लेकर किया जाए।
3. भाषायी आदान–प्रदान हेतु सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का विस्तार किया जाए।
4. पर्यटन को बढ़ावा देकर हिन्दी की आवश्यकता को व्यावहारिक बनाया जाए।
5. त्रिभाषा फॉर्मूला व्यवस्थित रूप में केन्द्र व राज्यों के स्तर पर सुचारु रूप से लागू किया जाए।
6. प्रादेशिक भाषाएँ भी हिन्दी के प्रसार के लिए सहायक हो सकती है, उसी दिशा में उनका भी विस्तार किया जाए।
7. राजनीतिक संकीर्णताएँ समाप्त कर, राष्ट्रीय हित में भाषावाद की समस्या का हल ढूँढा जाए।
8. आंग्ल भाषा का प्रशासनिक प्रयोजनार्थ एवं अनुवाद की सीमाओं तक ही उपयोग हो।
9. भाषाएँ सम्प्रेषण का माध्यम हैं, ये परस्पर जोड़ती है, तोड़ती नहीं – यह भाव देशवासियों के मन में जगाना होगा।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- किसी क्षेत्र विशेष के प्रति प्रेम को राष्ट्र प्रेम से ज्यादा तरजीह देना 'क्षेत्रवाद' है।
- क्षेत्रीयता का भाव राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ी चुनौती है।
- भौगोलिक भिन्नता एवं प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण व केन्द्र सरकार की समरूप सोच के अभाव से क्षेत्रीयता के भाव पनपते है।
- बड़े राज्यों में किसी हिस्से का उपेक्षित महसूस करना व पृथक् पहचान की माँग भी क्षेत्रवाद की श्रेणी में आते है।
- भूमिपुत्र की अवधारणा ने क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति को जन्म दिया है।
- सांस्कृतिक व भाषायी भिन्नता आधारित उपेक्षा से भी क्षेत्रवाद पनपता है।
- भारत में त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाया गया है– राजभाषा हिन्दी, सम्पर्क भाषा अंग्रेजी व एक क्षेत्रीय भाषा जो संविधान की सूची में विद्यमान है।
- क्षेत्रीय भाषा को हिन्दी से श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति से भाषावाद पनपा है।
- हिन्दी एवं प्रादेशिक भाषाएँ परस्पर सहयोगी बनकर विकास भी करेगी, भाषावाद भी मिटेगा।

अभ्यास प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न

1. इनमें से कौनसा कथन क्षेत्रवाद का परिचायक है?
(1) राज्यों के पुनर्गठन की माँग
(2) नवीन राज्य निर्माण
(3) भारतीय संघ में स्वायत्तता
(4) स्वयं के राज्य का बड़े राज्य में विलय
सही कथन है –
(अ) 1, 2, 3, 4 (ब) 1, 2, 4
(स) 1, 2, 3 (द) 2, 3, 4 ( )
2. 'भूमिपुत्र' की अवधारणा का तात्पर्य है –
(अ) क्षेत्र विशेष में स्वयंभू नेता का उदय
(ब) भूमि नाम की स्त्री की संताने
(स) भूमि पर काम करने वाले मछुआरें
(द) जागीरदारी प्रथा का एक रूप ( )
3. पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की सूची में कौनसा बेमेल है –
(अ) जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम
(ब) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम
(स) मरु विकास कार्यक्रम
(द) धर्मस्थल विकास कार्यक्रम ( )
4. त्रिभाषा फॉर्मूले का कौनसा/से युग्म सही है –
(अ) हिन्दी, अंग्रेजी, कन्नड़
(ब) अंग्रेजी, पंजाबी, रुसी
(स) हिन्दी, भोजपुरी, देवनागरी
(द) हिन्दी, मलयालम, राजस्थानी ( )

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. क्षेत्रवाद पनपने का एक प्रमुख कारण बताइए।
2. भाषावाद का अर्थ क्या है?
3. क्षेत्रवाद के दो दुष्परिणाम लिखिए।
4. भाषा वाद राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती नहीं बनें, इसका एक उपाय सुझाएँ।
5. भारत संघ की राजभाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. भूमिपुत्र की अवधारणा क्या है?
2. क्षेत्रवाद का अर्थ बताइए।
3. त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है?
4. भारत सरकार द्वारा जो विशेष विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे है, उनमे से किन्हीं चार के नाम लिखें।

निबन्धात्मक प्रश्न –

1. क्षेत्रवाद क्या है?इसके पनपने के कारण व रोकने के उपाय सुझाइए।
2. भारत में क्षेत्रवाद के दुष्परिणामों पर अपनी समीक्षा प्रस्तुत कीजिए।
3. भाषावाद क्या है?इसके उग्र स्वरूप को शान्तिपूर्ण सद्भाविकता में बदलने के उपायों पर प्रकाश डालिए।

बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर

1. स   2. अ   3. द   4. अ

3. आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण एवं भ्रष्टाचार
(Terrorism, Criminalization of Politics and Corruption)

आतंकवाद
(Terrorism)

आतंकवाद मूलतः एक विखण्डनकारी प्रवृत्ति है जिसका अन्य विखण्डकारी प्रवृत्तियों के साथ गहरा सम्बन्ध है। आतंकवाद, साम्प्रदायिकता और पृथक्तावाद एक–दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े है। आतंकवाद ने विश्व शान्ति को सर्वाधिक नुकसान पहुँचाया है। भारत आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। आतंकवाद को परिभाषित करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। एक दृष्टिकोण की मान्यता है कि किसी एक के विचार में जो आतंकवादी है वह दूसरे के विचार में स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकता है। वर्तमान विश्व में आतंकवाद धार्मिक व जातीय आधार पर ही जिन्दा है।

3.1 आतंकवाद का अर्थ
(Meaning of Terrorism) –

Terror का लेटिन भाषा में अर्थ है – To Make Tremble किसी को भय से कंपकपाने को मजबूर करना। ओ दिमेरस ने लिखा है कि आतंकवाद एक विभ्रम है। यह मनोवैज्ञानिक हमला है, इसका लक्ष्य मनोवैज्ञानिक परिणाम प्राप्त करना होता है। हिंसा की नाटकीय प्रस्तुति और उन्नति व प्रसिद्ध आतंकवाद की मुख्य प्रकृति है। सामान्य अर्थ में किसी भी तरह से भय उत्पन्न करने की विधि को आतंकवाद की संज्ञा दी जा सकती है। जब एक व्यक्ति या समूह अपनी उचित माँगों की पूर्ति के लिए शान्तिपूर्वक व अहिंसात्मक ढंग से सकारात्मक प्रयास करता है तो उसे आन्दोलन कहा जाता है।आन्दोलन लोकतांत्रिक व्यवस्था की अपरिहार्य प्रक्रिया कही जा सकती है। इसके विपरीत व्यक्ति या व्यक्ति समूह जब अपनी अनुचित माँगों की पूर्ति के लिए व्यापक स्तर पर हिंसा व अशांति पर आधारित नकारात्मक प्रयत्न करता है तो उसे आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद को आमतौर पर धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय, नस्लीय आधार पर समर्थन मिलता है। किन्तु यह अलोकतांत्रिक होने के कारण व्यापक स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में समर्थन प्राप्त करने में असफल रहता है। आतंक के प्रयोग से तात्पर्य है– भय पैदा करना। सभी निरकुंश समाजों की स्थापना– भय पर आधारित थी। आधुनिक युग में अधिनायकवादी शासन का मूल आधार भय ही है।शान्तिकाल में युद्ध जैसी हिंसा के घोषित रूप में आतंक की तलवार सदैव उन लोगों पर मंडराती रहती है जो विद्रोह करने की सोचते है। आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य वर्तमान या विधिसंगत शासन को अपदस्थ कर सत्ता हथियाना होता है। आतंकवाद विश्व की सबसे खतरनाक हिंसक मनोवैज्ञानिक युद्ध प्रणाली है। आतंकवाद एक तरह से संक्रामक बीमारी है। आतंकवाद के वास्तविक भौतिक प्रभाव से कहीं अधिक इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। शीतयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् विश्व के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बन गया है। आतंकवाद उन नवीन संस्कारों में शामिल है जिससे आणविक, जैविक व रासायनिक हथियारों के प्रयोग, व सामूहिक विनाश की आशंका बनी हुई है। व्यवहार में आतंकवाद कई बार गरीब का शक्तिशाली के विरुद्ध हथियार बन जाता है तो कभी धर्म की सत्ता व धर्म की रक्षा का हथियार।

3.2 आतंकवाद का वैश्विक परिदृश्य
(World Perspective of Terrorism) –

9/11 की घटना में अचानक आतंकवाद को पुनः महत्त्वपूर्ण बना दिया। वस्तुतः तालिबानी स्वरूप पिछली शताब्दी के अन्तिम दो दशकों में अफगानिस्तान में सक्रिय था, किन्तु अमेरीका ने उन्हें महिमामंडित किया और योद्धा और जन मुक्ति दाता कहा। उल्लेखनीय है कि यही रवैया पाकिस्तान का कश्मीर के आतंकवादियों के प्रति रहा है। वह उन्हें स्वतंत्रता सेनानी की संज्ञा देकर अपने राजनीतिक मंसूबों को साधना चाहता है। धार्मिक आधार पर सहानुभूति प्रदर्शित कर वह राजनीतिक रोटियाँ सेक रहा है। आतंकवाद प्रतिक्रियावादी व आत्मघाती दोनों प्रभाव रखता है। आज पाकिस्तान जो आतंकवाद का मुख्य पोषक देश है स्वंय आतंकवाद से जूझ रहा है।

एक देश ने अपने विरोधी देश के खिलाफ रणनीति के बतौर आतंकवाद का खूब सहारा लिया है। अमेरीका ने तालिबान रूपी दैत्य को पूर्व सोवियत संघ के विरोध में उत्पन्न किया। किन्तु दो दशक बाद ही वह दैत्य उसके विरुद्ध हो गया। स्वयं अमेरीका ने 9/11 के बाद युद्ध को नया नाम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई देकर इराक और अफगानिस्तान की सम्प्रभुता पर हमला किया।

अमेरीका और उसके सहयोगियों का मानना है कि किसी भी किस्म के विध्वंसक हथियार रखना और उसके जरिए हिसंक कार्रवाई करना आतंकवाद है। इसी नजरिये से आतंकी

संगठनों और उनके पनाह देने वाले राष्ट्रों को चिन्हित किया जा रहा है।

वास्तव में आतंकवाद केवल हिंसा की तकनीक नहीं है। यह सिर्फ जान से मार देने की या आतंकित कर देने की कला नहीं है, अपितु विचारधारा है। इसका शीतयुद्धकालीन अमेरीकी विदेश नीति से गहरा सम्बन्ध है। शीतयुद्ध वस्तुतः रक्तबीज है। इसे जितना मारोगे यह उतना ही विकराल रूप धारण करता जाएगा।

ऊपरी तौर पर शीतयुद्ध समाप्त हो गया परन्तु विचारधारा के तौर पर यह आज भी जिन्दा है। मौजूदा ISIS तालिबान और आतंकवाद का विश्वव्यापी स्वरूप उसका हिस्सा है। इस स्वरूप का अपना तंत्र है और अपनी विचारधारा है। इसकी प्राणवायु बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ है। आतंकवाद अब कोई स्थानीय ढांचागत नहीं रहा है, इसके प्रभाव को सीमा में नहीं बाँधा जा सकता, इसका मौजूदा वैविध्य पूर्ण रूप इसे पूरी तरह विश्वव्यापी ढांचा संरचना बनाता है। आतंकवाद अत्याधुनिक हथियारों और विदेशी धन के सहारे फलफूल रहा है। तालिबान, अलकायदा, लिट्टे, खालिस्तान कमांडो फोर्स ओर्देन, रोबर्ती द आब्यूस्सोन फलांगा आदि दर्जनों आतंकी संगठनों के बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से सम्बन्ध रहे है। यह कम्पनियाँ दो प्रकार की है – नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाली व दूसरी हथियारों का निर्माण करने वाली।

आतंकवाद की यह रणनीति रही है कि हिंसा के माध्यम से सुनियोजित ढंग से आम जनता में दहशत पैदा की जाए। सत्ता की प्रतिक्रियाओं में लाभ उठाया जाए और अपनी मांगों को उभारा जाए। बी क्रोजियर में ए थ्योरी ऑफ कॉन्फल्क्टि (1975) में रेखांकित किया है कि आतंक और हिंसा कमजोरों का अस्त्र है। ये लोग संख्या में कम होते हैं और सत्ताहीन होते हैं। ये ऐसे लोग है जो परम्परागत ढंग से सत्ता प्राप्ति करने में असमर्थ होते हैं।

3.3 धर्मान्धता और आतंकवाद (Fanaticism &Terrorism) –

आतंकवाद को धर्म से सम्बद्ध मानने की प्रवृत्ति काफी दिनों से विवाद का विषय रही है। यह गम्भीर प्रश्न है कि आतंकवाद को किसी धर्म विशेष से जोड़ा जाए या नहीं। यह मानना कि धर्म के अनुयायी आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं, यह बिल्कुल असत्य व निराधार है। पश्चिमी देशों के आतंकवाद के विश्लेषकों ने माना है कि कुछ देशों में धर्म विशेष का हिंसक उत्परिवर्तन काफी गंभीर विषय है, जो विगत 25–30 वर्षों में एक शक्तिशाली प्रवृत्ति व घटना के रूप में उभरा है। आतंकवादियों में किसी एक गुट विशेष के प्रति समर्पण का भाव नहीं होकर एक समुदाय विशेष के प्रति समर्पण भाव रखना एक नकारात्मक प्रवृत्ति है, जो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज के लिए हितकारी नहीं होता है। आत्म बलिदान और असीमित बर्बरता ब्लैकमेल, जबरन धन वसूली और निर्मम नृशंस हत्याएँ करना ऐसे आतंकवाद की विशेषता बन गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पूर्णतया पृथक्तावादी श्रेणी में आता है। पाकिस्तान में वर्ष 2014 में स्कूल में घुसकर मासूम बच्चों पर अन्धाधुन्ध गोलीबारी कर 132 बच्चों की हत्या आतंकवाद का वास्तविक भयानक चेहरा प्रस्तुत करता है। खून से भीगे बस्ते, पानी की बोतलें, जूते, खाने के टिफिन बताते हैं कि आतंकवाद मूलतः मानवता के विरुद्ध अपराध है।

3.4 भारत में आतंकवाद (Terrorism In India)

आतंकवाद कोई नई प्रवृत्ति नहीं है। भारत में पिछली सदी के दो दशकों के पंजाब के आतंकवाद, जम्मू और कश्मीर के आतंकवाद व वर्तमान में विभिन्न भारतीय राज्यों में सक्रिय नक्सलवाद और उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्यों के उग्रवाद को आतंकवाद की परिभाषा में सम्मिलित किया जा सकता है। भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में कई स्थानीय आतंकी संगठनों के अतिरिक्त अन्य विदेशी आंतकी संगठन भी सक्रिय है। भारत में वर्ष 2016 तक कुल 38 आतंकवादी संगठनों को अनाधिकृत गतिविधि (निवारक) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रतिबन्धित किया जा चुका है।

3.5 भारत में आतंकवाद का स्वरूप (Nature of Terrorism In India)

भारत में सक्रिय आतंकवादी संगठनों की प्रकृति एक जैसी नहीं है। यद्यपि सभी आतंकवादी संगठन हिंसा व भय पैदा करने के विभिन्न तरीकों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग जरुर करते हैं। भारत में उत्तर–पूर्वी राज्यों, विशेषतया सीमावर्ती राज्यों, जम्मू कश्मीर, असम, पंजाब, आन्ध्रप्रदेश, छतीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल व महाराष्ट्र आदि

में आतंकवादी गुट सक्रिय है। कश्मीर में आतंकवादी गुटों को धार्मिक कारणों से अधिक जनाधार प्राप्त है। उन्हें विदेशी पाकिस्तानी समर्थन भी भरभूर मात्रा में प्राप्त है। धन, हथियार, प्रशिक्षण, दुष्प्रचार व युवाओं में धार्मिक वैचारिक विकार पैदा करने में पाकिस्तान ने अहम् भूमिका निभाई है। मनोवैज्ञानिक रूप से विभिन्न हथकण्डों का प्रयोग करते हुए कश्मीर के युवाओं में धर्मान्धता व कट्टरपन की भावना पैदा कर उन्हें मुख्य राष्ट्रीय धारा से विमुख करने में विदेशी समर्थन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिसने भारत के भौगोलिक, राजनीतिक एवं सामरिक हितो पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। यद्यपि पिछली शताब्दी में सक्रिय पंजाब के आतंकवादियों व कश्मीर के आतंकवादियों का केन्द्रीय लक्ष्य पृथक् राष्ट्र की मांग एक जैसा ही है। पंजाब, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पूर्णतया पृथक्तावादी श्रेणी में आता है। सभी आतंकी संगठनों की एक जैसी राजनीतिक सोच संभव भी नहीं है। पंजाब व जम्मू कश्मीर दोनों जगह आतंकवाद ने धार्मिक कट्टरवाद का सहारा लिया है। पंजाब में आतंकवादियों ने हत्या के लिए निर्दोष नागरिकों को अपना निशाना बनाया वहीं कश्मीर में आतंकवादियों ने सेना व अन्य सुरक्षाबलों को नुकसान पहुँचाना अपना लक्ष्य बनाया हुआ है। पंजाब में आतंकवाद के उस चरण में आतंकवादियों ने राज्य मशीनरी को निशाना बनाने की बजाय निर्दोष लोगों की हत्या की। राज्य पुलिस बल उनका दूसरा लक्ष्य था। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैण्ड में आतंकवादी गुटों का मुख्य निशाना समुदाय विशेष के लोग है। कभी–कभी राज्य मशीनरी पर भी हमला बोला जाता है किन्तु आम तौर पर किसी समुदाय विशेष के लोगों पर ही हमले होते रहे हैं। अतः इन राज्यों के आतंकवाद में समूह या जनजातीय ग्रुपों के बीच में हिंसक मुठभेडें या हमले होते रहते हैं। राज्य मशीनरी पर हमला करने का राजनीतिक तौर पर प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है किन्तु प्रच्छन्न पृथक्तावादी गिरोहों से सम्बन्ध जरुर दिखाई देता है। मसलन, पंजाब में खालिस्तानियों और नक्सली गुटों और आन्ध्रप्रदेश में पीपुल्सवार ग्रुप का लिट्टे से रिश्ता था। इसी तरह प्रत्येक प्रान्त में ऐसे आतंकवादी गिरोह भी सक्रिय है जो प्रत्यक्षतः विदेशी इशारे पर आतंकवाद की कार्रवाईयों में सक्रिय रहे है। तात्पर्य यह है कि आतंकवादी गिरोहों का परिप्रेक्ष्य एक–सा नहीं है। भारत में प्रमुख आतंकवादी घटना 12 मार्च 1993 को बंबई में हुई जिसमें बम विस्फोटों में 317 निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई। इस विध्वंसकारी घटना में अपराधी और तस्कर गिरोहों, कट्टरपंथियों और विदेशी एजेन्सियों की भूमिका थी। मूलतः यह एक आतंकवादी कार्रवाई थी। साम्प्रदायिकता, पृथक्तावाद और आतंकवाद एक ही सिक्के के भिन्न–भिन्न पहलू है। इन तीनों में अन्तक्रियाएँ चलती रहती है। तात्पर्य यह है कि साम्प्रदायिकता के पृथक्तावादी या आतंकवादी प्रवृत्ति में रूपान्तरण की सम्भावना है उसी तरह से पृथक्तावाद के साम्प्रदायिकता और आतंकवाद में बदल जाने की सम्भावना है। इसी प्रकार आतंकवाद के साम्प्रदायिक एवं पृथक्तावादी रूप लेने की भी सम्भावना है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश व छतीसगढ़ के नक्सली आतंकी गिरोहों की आतंकवादी कार्यवाहियों का स्वरूप पृथक्तावादी गिरोहों की कार्यवाहियों से भिन्न होता है। नक्सलवादी गिरोहों का पृथक्तावाद केन्द्रीय लक्ष्य नहीं है।

3.6 भारत के आतंकवाद व नक्सलवाद प्रभावित राज्य

(Terrorism And Naxalism Affected States of India)

1. जम्मू कश्मीर
2. पंजाब
3. उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत
4. नई दिल्ली
5. उत्तर भारत
6. पूर्वोत्तर राज्य – आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड
7. दक्षिण भारत – आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडू, कर्नाटक

3.7 आतंकवादियों की सामाजिक पृष्ठभूमि (Social Background of Terrorists)–

भारत में आतंकवादी कार्यवाहियों में शामिल व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि अलग–अलग रही है।

1. मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग के युवा।
2. पंजाब, कश्मीर बंगाल के नक्सली, उत्तर–पूर्वी राज्यों के आतंकी मौटे तौर पर इन्हीं वर्गों से आते है।
3. धर्मान्ध गरीब तबके के विभ्रमित युवा।

3.8 आतंकवादी कार्यवाही के लक्ष्य (Objectives of Terrorist Activities) -

1. सुचिन्तित ढंग से कुछ प्रमुख केन्द्रो या संस्थानो पर हमला करना
2. आतंक और हिंसा की कार्यवाहियों की बढ़ चढ़कर जिम्मेवारी लेना।
3. सत्ता से लाभ प्राप्त करना।

पहला लक्ष्य कार्यनीतिक है। दूसरा रणनीतिक है और तीसरा मूल अभित्सित लक्ष्य है। कार्यनीतिक स्तर पर लोगों को डराना, धमकाना, आतंकित करना और हमला करना होता है। रणनीतिक चरण के अन्तर्गत अतिनाटकीय ढंग से आतंक एवं हिंसा की कार्यवाही को सम्पन्न करना। परिणामतः ज्यादा से ज्यादा माध्यमों का ध्यान खींचने में सफलता प्राप्त करना उनका लक्ष्य होता है। आतंकवादियों की कार्यनीति, रणनीति और लक्ष्य ये तीनों एक–दूसरे से अन्तर्ग्रंथित है।

3.9 आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक तत्व –(Psychological Elements Of Terrorism)

आतंकवाद, अपरिहार्य रूप से एक ऐसी रणनीति है जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर आधारित होती है। इस रणनीति के तहत आतंकवादी दर्शकों को प्रभावित करते है। यहाँ दर्शक वे लोग है जो आतंकवादी कार्यवाही से भयग्रस्त हो जाते हैं।

1. कर्म द्वारा प्रचार (Propaganda by Deed)
2. अभित्रास (डराना–धमकाना)
3. उकसाना
4. अस्त व्यवस्तता व अराजकता उथल–पुथल
5. संघर्ष

3.10 आतंकवाद और मीडिया कवरेज (Terrorism & Media Coverage)–

आतंकवाद और मीडिया कवरेज – तकनीकी के प्रयोग के कारण आतंक और हिंसा की कार्यवाही और भी आकर्षक दिखती है। भारत में पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद की प्रस्तुतियों में स्टीरियो टाईप छवि का प्रभुत्व रहा है। परिणामतः आतंकवादियों के प्रति तकनीकी माध्यमों के द्वारा घृणा के बजाय सहिष्णु भाव पैदा हुआ है। इस तरह के मीडिया के कवरेज का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। पहला आतंक हिंसा की गतिविधियों की रिर्पोटिंग को मिलने वाले महत्त्व अन्य को वैसी ही कार्यवाही के लिए प्रेरित करती है। दूसरा ज्यादा या कम माध्यम कवरेज से यह सम्भव है कि राज्य उत्पीड़न की कार्यवाहियाँ बढ़े। यही स्थिति आतंकवाद पैदा करना चाहती है। इससे उन्हें अपने लक्ष्य के विस्तार में मदद मिलती है। तीसरा मीडिया कवरेज के द्वारा आम जनता के अन्दर भावशून्य स्थिति पैदा हो सकती है। चौथा आतंकवादियों द्वारा अपहृत या बंदी व्यक्ति के लिए मीडिया कवरेज से जान का खतरा पैदा हो सकता है।

आतंकवादी कुछ विशेष शैली प्रतीकों और बिम्बों का प्रयोग करते हैं। पंजाब के आतंकवादी दौर में मोटरसाईकिल , मारुति वैन और ए.के 47 आतंकवादियों का प्रतीक मानी जाती थी। डर का माहौल पैदा करना उनका पहला मकसद होता है। इससे प्रशासनिक मशीनरी पंगु बन जाती है। सेना व सुरक्षा बल लगातार काम करते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक कारणों से समाज की आतंकवाद के प्रति सहिष्णुता पैदा होना अत्यन्त घातक हो जाती है। आम जनता में भाव शून्यता से सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। वह आतंकी हिंसा को जीवन की सच्चाई के रूप में देखने लगती है।

सामान्य तौर पर आतंकवादी गिरोहों की कार्यवाही के दो मकसद होते हैं।

1. हिंसा के माध्यम से जनमाध्यमों का ध्यान आकर्षित करना।
2. भय और आतंक का माहौल पैदा करना।

इन दोनो तरीकों के जरिए आतंकवादी गिरोह अपनी मांगों को लोकप्रिय बनाने और राष्ट्रीय एजेन्डे पर लाने में सफल हो जाते हैं। अपनी मांगो को पूरा कराने के लिए दबाव डालते है। अत्यधिक मीडिया कवरेज से आतंकवाद फलता–फूलता है। आतंकवाद और जन माध्यमों का जटिल सम्बन्ध है और संश्लिष्ट प्रक्रिया से यह सम्बन्ध विकसित होता है। अब यह सामान्य धारणा बन चुकी है कि किसी आतंकवादी घटना को मीडिया द्वारा अधिक कवरेज देने से इसका दुष्प्रचार होता है जो राज्य के हितों का विरोधी है।

आतंकवादी घटना के अत्यधिक मीडिया कवरेज के दुष्प्रभाव

1. यह विभिन्न आतंकवादी गुटों के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करता है।
2. धार्मिक व साम्प्रदायिक कारणों से आतंकवादियों को सस्ती लोकप्रियता हासिल होने की सम्भावना निहित है।
3. विभिन्न गुटों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने पर बढ़त व पहलकदमी हासिल करने की होड़ उत्पन्न करना।
4. आतंकवादी गिरोहों द्वारा मीडिया कवरेज करने वाले चैनलस् पर नियंत्रण स्थापित करने की आशंका बनना।
5. प्रशासनिक मशीनरी की कार्य कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना।

यह माना जाता है कि आतंकवाद एक तरह से संक्रामक बीमारी है। जाने– अनजाने माध्यमों से आतंक एवं हिंसा को प्रोत्साहित किया जाता है। घटनाओं की एक जैसी पुनरावृत्ति और बार–बार कवरेज पुन हिंसा और आतंक को जन्म देता है। आतंकवादी गिरोहों का सहज रूप से अपनी राजनीतिक मांगों के लिए मंच मिल जाता है। परिणामतः इससे आतंकवाद बढ़ता है।

आतंकवाद की सफलता – आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य वर्तमान या विधिसंगत शासन को अपदस्थ कर सत्ता हथियाना होता है। यह रणनीति मुख्यतः विद्रोही व बलवाई आतंकवादियों द्वारा अपनाई जाती है। यदि हमें आतंकवादियों के सफलता के परिणामों को देखें तो पाते है कि केवल उपनिवेशवादी विरोधी गुटों को पूरी तरह से सफलता प्राप्त हो सकी उनमें मुख्य है - EOKA the Ethmiki Organosis Krprion

Agoniston(National Organization of Cypriot Fights) माऊ–माऊ केन्या में (ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध),

एफ एल एन – अलजीरिया (फ्रांस के उपनिवेशवाद के विरुद्ध)

20वीं व 21वीं शताब्दी के अधिकांश आतंकवादी गुट अपने मंसूबों को पूरा करने में पूरी तरह से असफल रहे है। भारत में पंजाब के आतंकी पूरी तरह से असफल हुए। LTTE जैसा दुर्दान्त आतंकवादी संगठन श्रीलंका में अंततः असफल ही हुआ। आइएसआइएस (ISIS) वोकोहरम, तालिबान व अन्य मुस्लिम आतंकवादी संगठन अभी तक राजनीतिक रुस से असफल ही रहे है। फ्रांस, और इटली के आतंकवादी गुट (एक्शन डाइरेक्टो, लाल सेना गुट) रेड ब्रिगेड अंततः असफल ही रहे हैं।

निष्कर्ष –

पूर्व सोवियत संघ के विद्वान् **यूरी त्रिफोनाव** ने लिखा है कि '' आतंकवाद का विश्व स्तर पर पतन हुआ है रंगमंच खून से तर–बतर है और चरित्र मृत्यु है। ''

डेविड फॉमकिन ने लिखा है कि – '' हिंसा आतंकवाद का प्रारम्भ है, इसका परिणाम है और इसका अन्त है। ''

ब्रेनाजिन किंस ने लिखा है कि – '' आतंकवादी चाहते हैं कि बहुत सारे लोग देखे और सारे लोग सुने, न कि बहुत सारे लोग मरे। '' आज भी आतंकवाद विश्व शान्ति और सुरक्षा के लिए सबसे गम्भीर चुनौती बनी हुई है। विश्व के समस्त देश जब तक एकजुट होकर जब तक इस दैत्य का मुकाबला नहीं करते तब तक यह समस्या समाप्त नहीं होगी। भारत में भी आतंकवाद आधे से अधिक राज्यों को प्रभावित कर रहा है। शासन को आने वाले समय में आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे।

राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार (Criminalisation of Politics & Corruption)

भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ब्रिटिश शासन में आदमी बदतर जीवन जी रहा था। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक की यह अपेक्षा थी कि अब उसके जीवन में खुशहाली आयेगी। मगर गरीब की स्थिति अब भी बदतर बनी हुई है। देश की प्रगति का पूरा लाभ अभी तक उसे प्राप्त नहीं हो सका है। बहुसंख्य गरीब तबके को अभी भी विकास का अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। गरीबी और अमीरी के मध्य की खाई और अधिक गहरा गई है। स्वतंत्रता के बाद में अमीर वर्ग ही सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है। भारतीय राजनीति की जो दशा है वह देश की प्रगति के लिए चिंतनीय है। भारतीय राजनीति का अपराधीकरण एक ऐसी परिघटना है जिसने भारतीय लोकतंत्र को दिशा विहीन कर दिया है। चुनावों में बाहुबल और धनबल के बुरे प्रभाव ने सम्पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्षत–विक्षत कर दिया है। इस प्रवृत्ति से चुनावी राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे गम्भीर चुनौती बनी हुई है। हालांकि विगत वर्षों में चुनाव में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए चुनाव प्रक्रिया में अभूतपूर्व सुधार किये गये हैं। ई.वी.एम मशीनों का प्रयोग, संवेदनशील बूथों की वीडियोग्राफी, निष्पक्ष चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, चुनाव आचार–संहिता को लागू करना आदि कुछ सकारात्मक उपाय भी किए गए है। इन सुधारों के बावजूद राजनीति में अपराधी तत्वों की सक्रिय भूमिका व भागीदारी चिन्ता का विषय है।

3.11 राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ (Meaning of Criminalisation of Politics) –

राजनीतिक अपराधीकरण वह प्रवृत्ति है जिसके अन्तर्गत अपराधिक पृष्ठभूमि के लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। राजनीति में प्रवेश करने, सत्ता को प्राप्त करने व सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा समय–समय पर अपराधियों की मदद लेना राजनीतिक अपराधीकरण कहलाता है। येन–केन प्रकारेण सत्ता के गलियारे तक पहुँचने की महत्त्वाकांक्षा ही अनैतिक, अनुचित व अपराध प्रदान साधनों के प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। भारत में राजनीति को एक फायदेमन्द व्यवसाय के रूप में मान लेने की प्रवृत्ति ही राजनीतिक अपराधीकरण को जन्म देती है। दलीय राजनीति में अपराधीकरण की और अधिक सम्भावना रहती है क्योंकि इसमें सत्ता में आने का रास्ता चुनाव के माध्यम से ही खुलता है। मत प्राप्त करने के लिए जब राजनीतिज्ञ व राजनीतिक दल मतदाताओं को नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित न करके धन, बल, भय व आतंक का सहारा लेते हैं तब राजनीति का अपराधीकरण हो जाता है। चुनावी राजनीति के कारण ही अपराधियों और राजनीतिज्ञों में आपस में सांठ–गांठ पैदा होती है। यह दोनों अपने–अपने निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर एक–दूसरे से लाभ उठाने के मंसूबों से काम करते हैं। जहाँ चुनावों में जिताने के लिए अपराधिक तत्व राजनीतिज्ञों की मदद करते हैं वहीं सत्ता में आने के बाद राजनेता अपराधियों को राजनीतिक शरण देकर उनकी मदद करते हैं।

3.12 राजनीति के अपराधीकरण के कारण (Causes of Criminalisation of Politics) –

1. राष्ट्रीय चरित्र का पतन
2. गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी
3. राजनेताओं व राजनीतिक दलों द्वारा साधनों की पवित्रता में विश्वास न करना

4. पुलिस, राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों व अपराधियों में परस्पर अनैतिक सांठ–गांठ
5. चुनावी राजनीति पर बाह्य तत्वों का प्रभाव
6. कानूनों को प्रभावशाली रूप से लागू न करने की व्यवस्था
7. न्यायिक प्रणाली की मूलभूत खामियाँ
8. दलीय राजनीति व सत्ता प्राप्ति की अत्यधिक राजनीतिक लालसा
9. निर्वाचन प्रणाली की खामियाँ
10. शासन की क्षमता और गुणवता में भारी गिरावट
11. अपराधिक तत्वों का समाज में दबदबा व जनता में स्वीकार्यता
12. धन, बल व राजनीति का मिश्रण

3.13 भारतीय राजनीति का वर्तमान परिदृश्य (Present Overview of Indian Politics) –

16वीं लोकसभा के 34 प्रतिशत सदस्य अपराधिक पृष्ठभूमि वाले है। जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले विचारधीन है। हमारे जन प्रतिनिधियों में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की निरन्तर बढ़ती संख्या लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता।

भारतीय राजनीति में निरन्तर बढ़ते हुए अपराधियों की संख्या इसके अपराधीकरण का स्तर प्रदर्शित करती है। सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों का चयन अलोकतांत्रिक व निरकुंश ढंग से किया जाता है। सबसे बड़ा कारण है सभी राजनीति दल केवल इस बात से चिंतित रहते हैं कि उनके उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित हो। सभी दल ईमानदार छवि वाले लोगों की तुलना में धनबल और बाहुबल वाले जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट देते है।

राजनीति के अपराधीकरण के दो भिन्न अर्थ में देखा जा सकता है। संकीर्ण अर्थ में – अपराधियों का विधानसभा और भारतीय संसद में प्रत्यक्ष प्रवेश व हस्तक्षेप से है। व्यापक अर्थ में – अपराधियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनावी राजनीति और शासन को प्रभावित करने से सम्बन्धित है। इसमें धन व बाहुबल से किसी राजनीतिक दल की मदद करना, असामाजिक तत्वों के माध्यम से बुथ केपचरिंग व चुनावों में फर्जी मतदान करना। विपक्षी उम्मीदवार के मतदाताओं का धमकाना, हत्या कर देना आदि गतिविधियाँ सम्मिलित है। पिछले दो तीन चुनावों में अपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का अधिकांश राजनीतिक दलों ने भरपूर उपयोग किया है। पार्टी के लिए फन्ड जुटाने से लेकर बल व पैसे के जोर पर मतदाताओं के रुख बदलने में अपराधियों की भूमिका में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। चुनावों का प्रबन्धन, चुनाव प्रचार में भीड़ जुटाना, बैठकों और सम्मेलनों में पैसे से या डराकर भीड़ इकट्ठी करना, नियोजित ढंग से अपराधिक पृष्ठभूमि के कार्यकर्ताओं की फौज बनाना एक सामान्य सी बात हो गई है। स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक यही गणित काम करता है। पूर्व में अपराधी सक्रिय राजनीति से बाहर रहकर अपने पंसदीदा दल की मदद करते हैं। अब इस व्यवहार में बदलाव आ गया है। अब वे न केवल उम्मीद्वारी हासिल करके चुनाव जीत रहे है बल्कि मंत्री बनकर इस देश के नीति निर्धारक बन गए है। भारतीय राजनीति में 'दागी मंत्री' एक मशहूर संज्ञा बन चुकी है।

देश के प्रत्येक कोने में चुनावों का अपराधिक गतिविधियों से सन्निकट सम्बन्ध रहा है। किसी विशेष उम्मीदवार को मत डलवाने से लेकर मतदाताओं को डराना, धमकाना, उन्हें मतदान केन्द्र तक पहुँचाने से रोकना (समाज के कमजोर वर्गीय तबके के दलितो, महिलाओं और आदिवासी जातियों व पिछड़े लोगों को) विगत 20 साल में एक भी चुनाव बिना हिंसक गतिविधियों व धन–बल के प्रयोग के बिना सम्पन्न नहीं हुआ है, कई बार तो प्रतिद्वन्दी उम्मीदवार की हत्या कर दी गई ताकि चुनाव रद्द कर दिए जावें।

इन अराजकतापूर्ण स्थिति व हिंसक गतिविधियों का कारण ही राजनीतिज्ञों और अपराधियों के मध्य स्थापित सांठगांठ है। कई कट्टर अपराधी जेल में बैठे–बैठे चुनाव जीतकर संसद के गलियारे तक पहुँच जाते हैं। ऐसे पृष्ठभूमि वाले तत्वों के विरुद्ध सभी प्रकार के मामले विचाराधीन है। जिसमें हत्या, डकैती, अपहरण, जबरन वसूली से लेकर बलात्कार जैसे जघन्य अपराध शामिल है।

3.14 राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के उपाय (Steps to Control Criminalisation of Politics)

1. राजनीतिक दलों मे अन्दरुनी लोकतंत्र व जवाबदेही का विकास।
2. संविधान द्वारा राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली व कार्य व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु कानूनी व्यवस्था का प्रावधान।
3. जो अपराधी राजनीतिक सक्रिय है उनके विरुद्ध चल रहे मुकदमों के शीघ्र निपटाने हेतु 'फास्ट ट्रेक' न्यायालयों की विशेष व्यवस्था।
4. त्वरित न्यायिक निर्णयों द्वारा अपराधी तत्वों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करना।
5. कानूनों में वांछित संशोधन व परिवर्तन कर

अपराधिक पृष्ठभूमि वाले तत्वों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगाना।

6. निर्वाचन आयोग का निष्पक्ष व पारदर्शी गठन।
7. जिनके खिलाफ दो या दो से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगाना।
8. उन राजनीतिक दलों पर जुर्माना एवं दण्ड लगाने का प्रावधान हो जो अपराधियों को टिकट देते है।
9. NOTA (None Of The Above) नोटा व अन्य पुख्ता उपायों की व्यवस्था हो जिससे अपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति चुनाव न जीत सकें।
10. भविष्य में प्रभावी ऑनलाइन निर्वाचन की व्यवस्था प्रारम्भ करना।

एन.एन वोहरा समिति की रिपोर्ट का सार – भारतीय राजनीति के अपराधीकरण की गम्भीरता की जांच पड़ताल व अध्ययन हेतु शासन द्वारा एन.एन वोहरा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में माफिया नेटवर्क एक समानान्तर सरकार चला रहा है। शासकीय मशीनरी या राज्यतंत्र हाशिये पर कर दिया गया है। भारतीय मतदाता की उदासीनता, अगम्भीरता व भावशून्यता ने इस प्रवृत्ति में अभिवृद्धि की है। माफिया गिरोहों को स्थानीय नेताओं से संरक्षण प्राप्त होने से उन्होंने गैर कानूनी रूप से लाभ प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया। कालान्तर में माफिया राजनेताओं का द्विगठबंधन, त्रिगठबन्धन में बदल गया है। पुलिस अपराधी और राजनेताओं का गठजोड़ भारतीय लोकतंत्र को दीमक की तरह चाट रहा है।

सार्वजनिक जीवन से भ्रष्ट्राचार को मिटाकर राजनीतिक व्यवस्था को अपराधीकरण से बचाना, भारतीय चुनावी राजनीति की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। न्यायपालिका, पुलिस, निर्वाचन आयोग व नौकरशाही की निष्पक्षता एवं जनता की चुनावी प्रक्रिया में ईमानदार व सक्रिय भागीदारी से ही राजनीति मे अपराधीकरण कम हो सकता है।

भ्रष्टाचार (Corruption)

भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है– भ्रष्ट आचरण, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है भ्रष्ट आचरण इसका अर्थ है कि ऐसा आचरण जो किसी भी दृष्टि से अनैतिक और अनुचित हो। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है।

3.15 भ्रष्टाचार क्या है ? (What is Corruption)

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार दीमक की तरह होता है जो उसे खोखला कर देता है। भ्रष्टाचार का अर्थ है कोई व्यक्ति अथवा संगठन अपने निर्धारित कानूनी दायरे से परे जाकर अनुचित ढंग से किसी व्यक्ति अथवा संगठन को लाभ पहुँचाये तथा बदले में धन अथवा सुविधाएँ प्राप्त कर सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुँचाये। भ्रष्टाचार मुख्य रूप से चुनावों में व्यापारियों द्वारा दिए जाने वाले चन्दे से आरम्भ होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने के लिए अपने व प्रत्याशी के प्रचार–प्रसार हेतु धन की आवश्यकता होती है। राजनीतिक दलों को अपने इस कार्य के लिए जो धन प्राप्त होता है वह बड़े औद्योगिक घरानों व व्यापारियों से मिलता है। इस प्रक्रिया के कारण चुनावों के पश्चात् सत्ता में आने वाले दलों से व्यापारिक घराने और औद्योगिक संस्थान अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और यही से आरम्भ होती है भ्रष्टाचार की व्यवस्था। भ्रष्टाचार के अधिकांश मामले खरीद, अनुदान, निर्माण, लाईसेन्स परमिट आवंटन, ऋण, नियुक्ति, स्थानान्तरण आदि क्षेत्रों से सम्बन्धित होते हैं।

3.16 भ्रष्टाचार के परिणाम (Consequences of Corruption) –

भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों पर निगाह डाली जाए तो यह अत्यन्त भयावह और डरावने लगते हैं। इस व्यवस्था से उपजने वाले कुछ परिणाम इस प्रकार है –

1. सार्वजनिक निर्माण कार्यों का स्तर घटिया होता है तथा अनेक बार ये कार्य केवल कागजों पर ही होकर रह जाते हैं।
2. योग्य एवं निष्ठावान व्यक्तियों को समुचित अवसर नहीं मिल पाते हैं।
3. गरीब व्यक्तियों के जीवन जीने के प्राकृतिक अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ता है।
4. समाज में आर्थिक विषमता पनपती है इससे गरीबी–अमीरी की खाई अधिक चौड़ी होती है।
5. काले धन का अम्बार लगता है इस कारण देश की अर्थव्यवस्था पंगु बन जाती है।
6. बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है।
7. आम आदमी का सरकारी तंत्र पर विश्वास घटता है इससे जनहितों के मुद्दों पर लोगों में असंतोष पनपता है।
8. उच्च स्तरों पर पनपने वाला भ्रष्टाचार निचले स्तर के कर्मचारियों को निकम्मा और कामचोर बना देता है।

3.17 भ्रष्टाचार रोकने के उपाय (Steps to Control Corruption) –

भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अनेक कानून बने हुए हैं। इसके अन्तर्गत भ्रष्टाचार निरोधक कानून सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंपा गया है। ब्यूरो के अधिकारी किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होते ही

त्वरित कार्यवाही कर रंगे हाथों गिरफ्तार करते हैं तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सजा दिलाते है। भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सतर्कता आयुक्त प्रणाली भी लागू की है। इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग में एक अधिकारी को सर्तकता अधिकारी बनाया गया है। यह अधिकारी भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मामलों की जांच कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करता है। इस संदर्भ में भ्रष्टाचार रोकने के लिए निम्नांकित उपाय सुझाये जा सकते है–

1. नागरिकों को सरकारी निर्णयों–प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों को जानने का पूर्ण अधिकारी होना चाहिए।
2. दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को त्वरित न्याय प्रक्रिया द्वारा कठोर दण्ड दिये जाने की आवश्यकता है।
3. सरकारी निर्णयों में कम से कम गोपनीयता होनी चाहिए। अधिकांश मामले पारदर्शी रहे।
4. भ्रष्ट लोक सेवकों की गलत तरीकों से अर्जित की गई सम्पत्ति कानूनी प्रक्रिया के अन्तर्गत जब्त कर लेनी चाहिए।
5. उच्च स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय त्वरित गति से नीचे तक पहुँचने चाहिए।
6. सार्वजनिक महत्त्व के पदों पर संदिग्ध आचरण वाले लोक सेवकों को पदस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।
7. बेनामी सौदा निषेध अधिनियम, 1988 को तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने चाहिए।
8. राजनीतिक दलों को मिलने वाले चन्दे की पूरी तरह जांच पड़ताल की जानी चाहिए।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- भ्रष्टाचार देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर देता है।
- भ्रष्टाचार का मूल स्त्रोत औद्योगिक घरानों और व्यापारियों और औद्योगिक संस्थानों द्वारा राजनीतिक दलों को दिया जाने वाला चन्दा है।
- सरकारी विभागों में स्वविवेक के निर्णय और निर्णयों की गोपनीयता के कारण भ्रष्टाचार पनपने की आंशका रहती है।
- धार्मिक दुराग्रह और सांस्कृतिक वर्चस्व की आड़ में आतंकवाद को प्रोत्साहन मिलता है।

अभ्यास प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न

1. भ्रष्टाचार का आरम्भिक केन्द्र औद्योगिक एवं व्यापारिक घरानों द्वारा दिया जाने वाला चन्दा माना जाता है, ये चंदा देते है –
   (अ) धार्मिक संस्थानों को (ब) राजनीतिक दलों को
   (स) मजदूर संघों को (द) कर्मचारी संगठनों को ( )
2. आतंकवाद के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौनसा सही नहीं है –
   (अ) यह एक शान्ति प्रिय आन्दोलन है।
   (ब) यह अहिंसा पर आधारित है।
   (स) यह एक सकारात्मक अवधारणा है।
   (द) यह एक विखंडनकारी प्रवृत्ति है। ( )
3. वर्तमान समय में विश्व शान्ति को किससे सर्वाधिक खतरा है –
   (अ) गाँधीवाद (ब) मार्क्सवाद
   (स) फेबियनवाद (द) आतंकवाद ( )
4. इस्लामी आतंकवाद का निम्नलिखित में कौनसा उद्देश्य नहीं है –
   (अ) विश्व में मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना करना।
   (ब) पश्चिमी गैर मुस्लिम शक्तियों का हिंसक गतिविधियों से प्रतिरोध करना
   (स) विश्व में शान्ति स्थापित करना।
   (द) विश्व में इस्लामी कानूनों और सिद्धान्तों को लागू करना। ( )
5. निम्नलिखित में से कौनसा देश आतंकवाद को प्रश्रय देता है –
   (अ) फिलिपीन्स (ब) इण्डोनेशिया
   (स) पाकिस्तान (द) कम्बोडिया ( )
6. LTTE लिट्टे किस देश में सक्रिय था –
   (अ) भारत (ब) मलाया
   (स) श्रीलंका (द) चीन ( )
7. निम्नलिखित में से कौनसा राज्य आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित है –
   (अ) अरुणाचल प्रदेश (ब) जम्मू एवं कश्मीर
   (स) सिक्किम (द) गोवा ( )

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. आतंकवाद मूलतः कैसी प्रवृत्ति है?
2. आतंकवाद के दो कारण बताइए।
3. आतंकवाद का अन्य किन प्रवृत्तियों से निकट सम्बन्ध है?
4. आतंकवाद को किस आधार पर समर्थन प्राप्त होता है?
5. भारत के किस राज्य में सर्वाधिक आतंकी संगठन सक्रिय है?
6. किस विद्वान् ने कहा है कि '' हिंसा आतंकवाद का प्रारम्भ है, इसका परिणाम है और इसका अन्त है? ''
7. भारत के आतंकवाद प्रभावित किनहीं पाँच राज्यों के नाम बताइए।
8. राजनीतिक अपराधीकरण के दो कारण बताओ।
9. भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौनसा कानून है?

10. भ्रष्टाचार का मूल स्त्रोत क्या है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. आतंक के मनोवैज्ञानिक तत्वों के बारे में लिखिए।
2. आतंकवादी कार्यवाही के प्रमुख लक्ष्य क्या है?
3. आतंकवादी घटना के अत्यधिक मीडिया कवरेज के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? बताइए।
5. भारत में आतंकवाद के स्वरूप पर टिप्पणी कीजिए।
6. इस्लामी आतंकवाद से आप क्या समझते हैं?
7. भ्रष्टाचार क्या है?
8. राजनीतिक अपराधीकरण का अर्थ बतलाइए।
9. राजनीतिक अपराधीकरण को समाप्त करने के लिए क्या–क्या कदम उठाये जा सकते हैं?

निबन्धात्मक प्रश्न

1. आतंकवाद की समस्या पर लेख लिखिए।
2. भारतीय राजनीति अपराधीकरण से किस प्रकार प्रभावित होती है ?स्पष्ट कीजिए।
3. '' भ्रष्टाचार दीमक की तरह है जो किसी राष्ट्र की जड़े खोखली करता है। '' इस कथन के परिप्रेक्ष्य व रोकने के उपाय सुझाइए।
4. भारत में राजनीतिक अपराधीकरण के वर्तमान परिदृश्य बताते हुए उसके कारण एवं निवारण के उपायों की समीक्षा कीजिए।

बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर

1. ब	2. ब	3. द	4. स
5. स	6. स	7. ब	8. ब

4. गठबंधन की राजनीति
(Politics of Coalition)

कई बार स्थिति यह पैदा हो जाती है कि प्रतिनिधि सदन में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले। बिना बहुमत के सरकार चलना असम्भव है। अतः कुछ दल मिल कर अपना एक गठबंधन बना लेते हैं आपसी विचार विमर्श द्वारा साझा कार्यक्रम तय कर लेते हैं क्योंकि अलग अलग दलों के सिद्धान्त एवं विचार अलग अलग होते हैं। गठबंधन में शामिल दल सबकी विचारधारा में स्वीकार्य ऐसे कार्यक्रम तय कर लेते हैं जिस पर गठबंधन में शामिल दलों का विरोध न हो। विरोध में भी कुछ दल मिल कर एक गठबंधन का निर्माण कर लेते है। कई दलों द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर जो गठबंधन का निर्माण किया जाता है उसके आधार पर मिलकर राजनीतिक गतिविधियों का जो संचालन करते हैं उसी को वर्तमान में गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। कुछ दल मिलकर बहुमत बना कर सत्ता प्राप्त कर लेते है तो कुछ उनका सशक्त विरोध करने के लिये गठबंधन बना लेते है। ऐसी सरकारों को मिली जुली सरकार भी कहते हैं।

4.1 भारत में गठबंधन की राजनीति का उदय (Rise of Politics of Coalition in India)

–प्रथम तीन आम चुनाव कांग्रेस के वर्चस्व वाले चुनाव रहे। अपने स्वतंत्रता आंदोलन एवं पुराने संगठनात्मक ढांचे के कारण न केवल केन्द्र में बल्कि प्रांतो में भी उसको बहुमत मिलता था। लेकिन चतुर्थ आम चुनावों में (फरवरी 1967) से कांग्रेस को कई राज्यों में बहुमत से हाथ धोना पड़ा। हालांकि कम बहुमत से ही सही केन्द्र में सरकार कांग्रेस की बन गयी। राजस्थान, पंजाब व उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं में उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला वह केवल बड़ा दल बन कर रह गया। केरल, उड़ीसा एवं तमिलनाडु में उसे बहुत कम सीटें मिली। चतुर्थ आम चुनावों के इन परिणामों ने गठबंधन की राजनीति की शुरुआत की। कई राज्यों में एक से अधिक राजनीतिक दलों ने मिल कर सरकार बनायी। कुछ राज्यों में एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी विचारधारा वाले राजनीतिक दलों ने मिल कर सरकार बनायी। 1977 में गठित जनता पार्टी भी एक तरह का गठबंधन सा ही था।

11वीं से लेकर 15वीं लोकसभा तक फिर भारत में किसी दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला। कोई भी एक दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहा। अस्थायी सरकारों का दौर शुरू हुआ और गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार (मई 1996) 13 दिन चल पायी तो फिर कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी जिस को अपना प्रधानमंत्री बदलना पड़ा। एच.डी. देवेगौड़ा के स्थान पर इन्द्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। बारहवी लोक सभा में स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई। धीरे धीरे भारतीय राजनीति में दो महत्त्वपूर्ण गठबंधन उभर कर आये। एक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.), एवं कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूनाइटेड प्रोगेसिव एलाइन्स) (यू.पी.ए.)।

4.2 गठबंधन सरकारों का इतिहास (History of Coalition Governments)

1977 के आम चुनाव में पहली बार केन्द्र में कांग्रेस की हार हुई, उसे लोकसभा बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। पांच दलों की मिलकर बन जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया तथा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनायी। कहने को तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन उसमें शामिल दल एक पार्टी जैसा व्यवहार नहीं कर सके और जनता पार्टी की सरकार गठबंधन सरकार की तरह ही व्यवहार करने लगी। इंडियन एक्सप्रेस में कुलदीप नायर ने 21 अप्रेल 79 में लिखा "केन्द्र मे जनता पार्टी की सरकार की स्थिति एक मिलीजुली सरकार जैसी रही और सत्ता में भागीदार सभी गुट इस बात के लिए सजग रहे।" अल्पकाल में जनता पार्टी दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर वापस बिखर गयी। उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बनायी लेकिन कुछ ही समय बाद कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। सरकार लोकसभा का सामना भी नहीं कर सकी और नये चुनाव कराने पड़े।

1980 के चुनावों के बाद 89 तक फिर कांग्रेस का एक दल प्रधान शासन रहा। दिसम्बर 89 में वी.पी. सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी जो दो विरोधी विचारधारा के दलों के समर्थन पर टिकी हुयी थी। भारतीय जनता पार्टी एवं वामपंथी दल। भाजपा के समर्थन वापस लेने पर अक्टूबर 1990 मे सरकार गिर गयी। जनता दल के टुकड़े होकर बने जनतादल एस के रूप में बने नये राजनीतिक दल की सरकार चन्द्रशेखर के नेतृत्व में बनी। कांग्रेस ने इसे बाहरी समर्थन दिया। कुछ ही महीनों के बाद कांग्रेस से मतभेद होने के कारण

चन्द्रशेखर सरकार को 6 मार्च 1991 को त्याग पत्र देना पड़ा।

11वीं लोकसभा के चुनाव के बाद आयी त्रिशंकु लोकसभा के कारण अप्रेल मई 1996 के बाद फिर गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। दसवीं लोक सभा चुनाव के बाद कुछ अन्तराल तक कांग्रेस की अल्पमत सरकार बाहरी समर्थन से चलती रही लेकिन 11वी लोक सभा चुनाव के बाद स्थिति ऐसी नहीं रही कि कोई एक दल सरकार बनाले। इसलिए सबसे बड़ा दल होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अटलबिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आंमत्रित किया गया। भाजपा के साथ शिव सेना, अकाली दल एवं हरियाणा विकास पार्टी गठबंधन की सरकार बनी। बहुमत साबित न कर पाने के कारण 13 दिन बाद ही प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा।

वाजपेयी सरकार के पतन के बाद कांग्रेस के बाहरी समर्थन से एच.डी. दैवेगौड़ा की सरकार बनी किन्तु कुछ ही महिनों बाद कांग्रेस ने समर्थन के लिए प्रधानमंत्री (नेता) बदलने की शर्त रख दी। इसलिए 10 माह में ही एच.डी. देवगौड़ा सत्ता से बाहर हो गये तथा इन्द्र कुमार गुजराल को नेता चुन कर प्रधानमंत्री बनाया गया। जहां दैवेगोड़ा सरकार में 13 राजनीतिक दल भागीदार थे तो गुजराल सरकार में 15 राजनीतिक दल थे। इन दलों के बीच विभिन्न राजनैतिक विषयों व समस्याओं पर वैचारिक समानता का सर्वथा अभाव था। परिणाम स्वरूप सरकार को निरन्तर दबाव में काम करना पड़ रहा था।

12वीं लोकसभा के चुनाव के परिणाम भी विखण्डित जनादेश या त्रिशंकु लोकसभा ही दे पाये। सबसे बड़े दल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया गया। 18 दलो ने मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बनाकर सरकार का गठन किया, जिसे अप्रैल 1999 में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत कर दिया गया।

13वीं लोकसभा चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अटलबिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार लगभग 20 से अधिक दलों की सरकार बनी। गठबंधन छोड़ने एवं जुड़ने का क्रम चला। सरकार को चलाने एवं स्थायी बनाने वाला महत्त्वपूर्ण तत्व था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रिय छवि जिनमें सबको साथ लेकर चलने की क्षमता थी। विकल्प के अभाव ने भी सरकार के स्थायित्व को सम्बल प्रदान किया। लोकसभा का कार्यकाल अक्टूबर 2004 में पूरा होना था लेकिन प्रधानमंत्री ने फरवरी 2004 में ही लोकसभा को भंग करने का परामर्श दे दिया।

14वीं लोकसभा के निर्वाचन के बाद कांग्रेस की स्थिति लोकसभा में पहले से थोड़ी सुधरी, कांग्रेस ने अपना नेता मनमोहन सिंह को चुना जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे तथा अर्थशास्त्री भी थे। डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लगभग 20 दलों की गठबंधन सरकार बनी जिसको वामपंथियों ने बाहर से समर्थन दिया। 15वीं लोकसभा के चुनाव के बाद पुनः यू.पी.ए. गठबंधन की सरकार बनी और मन मोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। 15वी लोकसभा में कांग्रेस की स्थिति पुनः सुधरी तथा वह अकेले 206 सीटें प्राप्त करने सफल हुई।

2014 में 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव भी मूलतः दो गठबंधनों भाजपा नेतृत्व वाले एन.डी.ए. तथा कांग्रेस नेतृत्व वाले यू.पी.ए. के मध्य हुए। इन चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ा तथा देश के युवा वर्ग ने अपने मताधिकार का प्रभावशाली मात्रा में प्रयोग किया। यह चुनाव भारतीय राजनीति के इतिहास में विशिष्ट स्थान रखते हैं। 1984 के बाद पहली बार किसी एक दल को जनता ने स्पष्ट बहुमत प्रदान किया था।

16वीं लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधनों की स्थिति इस प्रकार रही।

एन. डी. ए. (भाजपा एवं सहयोगी दल)

भाजपा	–	282,
शिव सेना	–	18
तेलगु देशम	–	16
एन. पी. एफ.	–	01
लोक जन शक्ति	–	06
एस.डब्लू. पी.	–	01
अकाली दल	–	04,
ए.आई.एन.आर.सी.	–	01
आर.एल.एस.पी.	–	03
एन.पी.पी.	–	01
ए.डी.	–	02
पी.एम.के.	–	01
कुल	–	**336**

यू. पी. ए. (कांग्रेस एवं सहयोगी दल)

कांग्रेस	–	44
झारखण्ड़ मुक्ति मोर्चा	–	02
राष्ट्रीय कांग्रेस	–	06
आई. यू. एम. एल.	–	02
राष्ट्रीय जनता दल	–	04
केरल कांग्रेस (एम)	–	01
कुल	–	**59**

गठबंधन जो भारतीय राजनीति की नियति बन चुके हैं दो प्रकार के होते हैं। एक गठबंधन वो जो चुनाव के बाद सत्ता

प्राप्ति के लिए सिद्धान्तों को ताक पर रख कर बनाये जाते हैं। ऐसे गठबंधनों में वे दल गठजोड़ करते हैं जो चुनाव में एक दूसरे के विरूध चुनाव लड़ते हैं, आलोचना करते हैं, चुनाव के बाद मिल कर सत्ता सुख भोगने लगते हैं। दूसरे ऐसे गठबंधन होते हैं जो चुनाव से पहले किए जाते हैं।

4.3 भारतीय गठबंधन की राजनीति की विशेषताएं

(Characteristic of Coalition Politics of India)–

1967 के चुनावों से ही गठबंधन राजनीति के बीज पड़ गये थे जो आगे लंबे समय तक अब तक भी चल रही है। गठबंधन की इस भारतीय राजनीति में निम्न विशेषताएं देखी जा सकती है।

1. **गठबंधन में एक दल की प्रधानता रही है** – भारतीय राजनीति में जो गठबंधन बने है उनमें एक दल की प्रधानता रही है। एन.डी.ए. गठबंधन का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो यू. पी. ए. का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास है। सहयोगी दल बहुत ज्यादा प्रभावी भूमिका निभाने में असमर्थ होता है। सहयोगी दलों का प्रभाव प्रमुख दल के सांसदों की संख्या एवं अन्य सहयोगी दलों के सहयोग पर निर्भर करता है।
2. **गठबंधन में विचारधारा गत समानता का अभाव** – राजनीतिक लाभ के लिए विरोधी विचारधारा के राजनीतिक दल गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। चुनावों में एक दूसरे की कार्य पद्वति की आलोचना करने वाले दल चुनाव बाद एक गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। वर्ष 2016 में प. बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस व सी.पी.एम. ने एक दूसरे के साथ गठबंधन किया था जबकि विचारधारात्मक आधार पर इन दोनों दलों के मध्य कोई साम्य नहीं है। जय प्रकाश नारायण को आदर्श मानने वाली समता पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन बना कर बिहार में चुनाव लड़ती है जबकि जय प्रकाश नारायण के विचार कांग्रेस की नीतियों से कहीं मेल नहीं खाते हैं। वस्तुतः गठबंधनों का आधार विचारधारा न होकर केवल सत्ता प्राप्त करना या किसी को सत्ता में आने से रोकना है।
3. **गठबंधन में स्थायित्व नहीं होता** – गठबंधन में शामिल राजनीतिक स्थायी रूप से उस गठंबधन से जुड़े रहे यह भी आवश्यक नहीं। पं. बंगाल के चुनावो को देख कर तृणमूल कांग्रेस ने एन. डी. ए. छोड़ दिया, कभी जनता दल (युनाइटेड) एन. डी. ए. का हिस्सा थी लेकिन उसने बिहार चुनावों में एन. डी. ए. छोड़कर कांग्रेस व राजद से नाता जोड़ लिया। कुछ समय बाद पुनः एन.डी.ए. में लौट गई।
4. **गठबंधनो में स्पष्ट विचारधारा गत अलगाव का अभाव** – भारतीय राजनीति में इस समय दो ही गठबंधन महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावशाली है। राष्ट्रीय जन तांत्रिक गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलता है दूसरा संयुक्त, प्रगतिशील गठबंधन, जो कांग्रेस के नेतृत्व में चलता है, दोनों में विचारधारा एवं सैद्धान्तिक अन्तर खोजना कठिन है। तीसरा मोर्चा जो मूलतः वामपंथी प्रभाव का धड़ा है, कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी को पूंजीवादी मानता है लेकिन यू. पी. ए. सरकार को बाहर से समर्थन देता है।
5. **गठबंधन दल एवं सिद्धान्तों के बजाय नेताओं के आधार पर** – भारतीय राजनीति में गठबंधन राजनीतिक सिद्धान्त एवं विचारधारा के बजाय नेताओं के आधार पर होते हैं। समाजवादी विचार धारा होने के बावजूद समता पार्टी का गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल से होने के बजाय भारतीय जनता पार्टी से था। जब नरेन्द्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता घोषित किया तो जनता दल (युनाइटेड) ने गठबंधन तोड़ लिया। 1997 में एच.डी. दैवगौड़ा को कुछ दिन समर्थन देने के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को बदलने के आधार पर समर्थन की शर्त रखी तो इन्द्र कुमार गुजराल को 10 माह बाद अप्रेल 97 को प्रधानमंत्री बनाया गया और कांग्रेस ने पुनः समर्थन दे दिया। बिहार में समता पार्टी के गठबंधन में शामिल लालू प्रसाद का राष्ट्रीय जनता दल उत्तर प्रदेश चुनावों में मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी को समर्थन की बात करती है जो कभी एक दूसरे के विरोधी थे।
6. **निषेधात्मक आधार पर गठित राजनीतिक गठबंधन** – भारतीय राजनीति में पहले कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए गठबंधन किया जाता था। 1977 की जनता पार्टी का गठन भी कांग्रेस के विरूद्ध किया गया था। वर्तमान में जनतादल, समाजवादी पार्टी, बसपा एवं समता पार्टी अपना एक ही घोषित एजेन्डा बताती है भाजपा को सत्ता से बाहर रखना। किसी दल के कार्यक्रम या नेतृत्व या विचारधारा का मात्र विरोध के लिए विरोध लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा लक्षण कहा नहीं जा सकता।
7. **दल बदल की प्रवृत्ति** – गठबंधन सरकारो के कारण भारतीय राजनीति में आया राम गया राम की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है जिसके कारण शासन के स्थायित्व को खतरा बना रहता है।
8. **दबाव की राजनीति** – गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपने राजनीतिक हितों को पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री पर दबाव डालते रहते हैं। तृण मूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने अपने दल के रेलमंत्री को बदलने एंव

रेल का बढा हुआ किराया वापस लेने पर यू.पी.ए की मनमोहन सरकार को मजबूर कर दिया। ऐसे में कई बार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर क्षेत्रीय हित हावी हो जाते हैं।

4.4 गठबंधन सरकारों के बनने के कारण (Causes for Making Coalition Governments) –

भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। इसीलिए किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के अवसर अधिक पैदा होते हैं। बिना बहुमत के संसदीय शासन का निर्माण एवं संचालन सम्भव नहीं होता है। इसलिए गठबंधन बना कर सरकार बनाने का प्रचलन बढा। 16वी लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने के बाबजूद भी अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनाकर गठबंधन की सरकार बनायी गयी। भारत विविधताओं से भरा देश है यहां विभिन्न वर्गों, धर्मों संस्कृतियों एंव जातियों के लोग निवास करते हैं। वर्गीय हितों के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ, जिससे सैंकड़ो राजनीतिक दलों का गठन हो गया। एक गठबंधन में 20 से 24 तक राजनीतिक दल शामिल रहे है। इतने राजनीतिक दलों के होने के कारण त्रिशंकु लोकसभा के अवसर अधिक ही पैदा होने की आशंका है अतः शायद गठबंधन की राजनीति भारतीय राजनीति का स्थायी तत्व बन गया है।

4.5 गठबंधन की राजनीति के लाभ (Advantages of Coalition Politics) –

ऐसा नहीं है कि गठबंधन राजनीति के नकारात्मक प्रभाव ही हैं। गठबंधन की राजनीति के अपने लाभ भी हैं जो निम्नानुसार हैं :–

1. **शासन निरंकुश नहीं बन पाता** – गठबंधन मंत्रिपरिषद् पर प्रधानमंत्री का उतना वर्चस्व नहीं होता जितना एक दल की सरकार में होता है। मंत्रिपरिषद को न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर कार्य करना पड़ता है। मंत्रिपरिषद् मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकती। गठबंधन में शामिल सभी दलों की नीतियों एवं सिद्धान्तों को ध्यान में रखना पड़ता।
2. **अधिक योग्य लोगों के योगदान का देश को लाभ** – एक दल की सरकार में उसी दल के लोगों में से मंत्री लेने पड़ते थे, दूसरे दल के लोगों का कोई योगदान नहीं होता । गठबंधन की स्थिति में गठबंधन में शामिल सभी दलों के योग्य लोगों को मंत्रिपरिषद में लिया जाता है। इन सभी दलों के वरिष्ठ एवं योग्य लोगों की योग्यता का लाभ देश को मिलता है। मंत्रि परिषद के गठन का दायरा बढ जाने से अधिक योग्य लोगों की मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है।
3. **व्यापक जनमत समर्थन** –एक दल के मंत्रि परिषद के बजाय गठबंधन मंत्रिपरिषद के जनमत के समर्थन का दायरा बड़ा होता है। गठबंधन में शामिल दलों की संख्या जितनी ज्यादा होती है उतना ही उसे जन समर्थन मिल जाता है। सरकार की स्वीकार्यता बढ़ जाती है।
4. **सशक्त विपक्ष का निर्माण** – गठबंधन राजनीति का एक लाभ यह भी है कि एक राजनीतिक दल सत्तारूढ दल का उतना प्रभावशाली प्रतिरोध नहीं कर सकता जितने कई दलों से मिलकर बना गठबंधन कर सकता है। जब यू. पी. ए. गठबंधन की सरकार थी, तब एन. डी. ए. गठबंधन प्रभावशाली ढंग से सरकार का प्रतिरोध कर उसकी मनमानी रोकने में सक्षम होता था। तो अब एन. डी. ए. की सरकार है और यू. पी. ए. गठबंधन सरकार की मनमानी को प्रभावशाली ढंग से रोकती है।
5. **अतिवाद से मुक्ति** –गठबंधन की राजनीति से अतिवादी दृष्टिकोण से बचा जा सकता है। एक दल की सरकार अपने दृष्टिकोण को थोपने का प्रयत्न कर सकती है। गठबंधन में कोई भी दल केवल अपनी नीति एंव सिद्धान्त का नहीं थोप सकता क्योंकि गठबंधन में शामिल अन्य दल विरोध कर सकते हैं। मध्य का रास्ता निकाला जाता है।

4.6 गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष (The Negative Aspect of Coalition Politics)–

1. **अस्थायी सरकारों का निर्माण** – गठबंधन में शामिल दल अपने राजनीतिक लाभ हानि को ध्यान में रख कर समर्थन वापस भी लेते रहते हैं। इससे सरकार का बहुमत खत्म हो जाता है। सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। इस प्रकार सरकारों का स्थायित्व प्रभावित होता है। अस्थायी सरकारें स्थायी विकास के कार्य नहीं कर सकती।
2. **सामूहिक उतरदायित्व** के सिद्धान्त के कमजोर होने का भय अलग अलग दलो के मंत्रियों में विचारधारा गत एवं अन्य भिन्नताएं होती है। अलग अलग विचारधारा के लोगो को एक सूत्र में पिरोकर काम करना बेहद कठिन है। कई बार गठबंधन सरकार के मंत्रियों के मतभेद खुल कर सामने आ जाते हैं और यह टकराव कई बार शीर्ष नेतृत्व की कार्यक्षमता व शैली पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
3. **कमजोर सरकार** – गठबंधन की सरकार कमजोर साबित होती है वह दृढता से निर्णय लेने में असमर्थ होती है चाहे वैदेशिक क्षेत्र में हो या आन्तरिक राजनीतिक निर्णय हों।
4. **प्रधान मंत्री की भूमिका में सीमितता** – प्रधान मंत्री का अपने मंत्री परिषद् में शामिल अपने व अन्य दलों के

सदस्यों पर प्रभावशाली नियन्त्रण नहीं होता। गठबंधन में सम्मिलित मंत्री अपने दल के नेतृत्व के निर्देशों का पालन करते हैं। कमजोर प्रधान मंत्री प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पाता एवं अनिर्णय की स्थिति में रहता है।

5. **गठबंधनों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव** बढता जा रहा है जो राष्ट्रीय हितों के बजाय क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देते है। इससे राष्ट्रीय हितों का नुकसान होता है तथा क्षेत्रीय भावनाओं का प्रभाव बढता है। क्षेत्रीय भावनाओं के कारण राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा होता है।
6. **सरकारों में स्थायित्व नहीं** – गठबंधन की सरकार में स्थायित्व का अभाव रहता है। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल सरकार पर अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाब डालते रहते हैं। हितों की अवहेलना होने पर गठबंधन छोड़कर सरकार को अस्थिर कर देते है।
7. **राष्ट्रीय एकता को नुकसान** – गठबंधन में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ जाने के कारण क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्रीय हितों को साधने पर अधिक जोर देते है। प्रधानमंत्री में सरकार के स्थायित्व के कारण उनके दबाब में आने के लिए मजबूर होता है। ममता बनर्जी के विरोध के कारण प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बंगला देश के साथ सम्बन्धों में दबाब में रहे। क्षेत्रीय हितों पर अधिक दबाब होने से राष्ट्रीय हितों को हानि होती है।
8. **सुदृढ विदेश नीति का अभाव** – गठबंधन का प्रधानमंत्री सुदृढ विदेश नीति बनाने एवं संचालन करने में समर्थ नहीं हो पाता क्योंकि वह अपने सहयोगी दलों के दबाब में होता है एवं स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकता। इस प्रकार विदेश नीति के मामले में देश की स्थिति कमजोर होती है। विदेशों से किये जाने वाले संधि या समझौते के समय सहयोगी दलों की सलाह लेनी पड़ती है। विदेशों के सामने हमारी स्थिति कमजोर पड़ती है। एक दल का प्रधानमंत्री या सरकार स्वतंत्र एवं सुदृढ नीति अपनाने में सफल होता है।
9. **सरकार किसी स्पष्ट नीति पर कार्य नहीं कर पाती** – गठबंधन में अलग अलग विचारधारा एवं सिद्धान्तों के राजनीतिक दल शामिल होते हैं। सभी दल अपनी अपनी नीति को सरकार की नीति बनाना चाहते हैं परिणाम यह होता है कि सरकार कोई स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं कर पाती जिसका प्रभाव सरकार के कार्यों पर पड़ता है।
10. **छोटे छोटे राजनीतिक दलों के निर्माण को प्रोत्साहन** – गठबंधन में शामिल सभी दलों को सरकार में मंत्रीपद मिलता है लेकिन इन पदों पर बड़े एक दो नेता ही कब्जा कर लेते है जो दल के सर्वेसर्वा होते हैं। इसलिए कई नेता अपने दल का सर्वेसर्वा बनने या प्रथम स्थान पर आने के लिए नये दल का गठबंधन कर अध्यक्ष या संसदीय दल का नेता बन जाते हैं। इस प्रकार छोटे छोटे दलों के निर्माण को बल मिलता है। अधिक राजनीतिक दलों का निर्माण स्थायी सरकारों के निर्माण में बाधा है।
11. **सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल का अभाव** – गठबंधन शासन में अलग अलग मंत्रालयों को अलग राजनीतिक दल के नेता सम्भालते हैं जिनमें आपसी सहयोग उतना नहीं होता जितना एक राजनीतिक दल के मंत्रियों मे रहता है। अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने गुप्त एजेन्डे पर कार्य करते हैं एवं अपना हित साधन करते हैं। शासन के इन मंत्रालयों का आपसी असहयोग कई बार शासन में गतिरोध पैदा करता है। शासन के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न विभागों में आपसी सहयोग बहुत जरूरी है।

वर्तमान में भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों की मुख्य तीन धाराएं हैं।

1. **राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) (National Democratic Alliance)** – भारतीय जनता पार्टी एवं उसके साथ गठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक दल जैसे अकाली दल, शिवसेना, लोकजनशक्ति पार्टी, आई.एल.एस.पी, पी.एम.के सहित 13 दल शामिल है।
2. **संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) (United Progressive Alliance)** – इसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी है उसके साथ अन्य राजनीतिक दल हैं राष्ट्रीय कांग्रेस दल, राष्ट्रीय जनता दल, झारखण्ड़ मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस आदि।
3. वामपंथी राजनीतिक दल तीसरा गठबंधन वामपंथी राजनीतिक दलों का है।
4. चौथे स्थान पर वो राजनीतिक दल है जो इन तीनों ही गठबंधन में शामिल नहीं है। अन्ना द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, जनता दल (युनाइटेड), आम आदमी पार्टी, जनता दल सेकुलर आदि।

चौथे वर्ग में शामिल दल में से कभी कभी राजनीतिक सुविधानुसार गठबंधन की सदस्यता ले लेते हैं तथा वापस छोड़ देते हैं। जैसे तृण मूल कांग्रेस एवं बीजू जनता दल कभी एन. डी. ए. का हिस्सा रहे है और अब नहीं है।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- भारतीय राजनीति में गठबंधन में एक दल की प्रधानता रहती है।
- गठबंधन में विचारधारागत समानता का अभाव रहता है।
- गठबंधनों में स्थायित्व नहीं होता है।
- गठबंधनो में स्पष्ट विचारधारागत अलगाव है।

- गठबंधन दल एवं सिद्धान्तों के बजाय नेताओं के आधार पर बनते हैं।
- निषेधात्मक आधार पर गठित राजनीतिक गठबंधन अस्थायी होते हैं।
- गठबंधन राजनीति में दल बदल की प्रवृत्ति होती है।
- गठबंधन राजनीति में दबाव की राजनीति भी की जाती है।
- कुछ दल मिल कर अपना एक गठबंधन बना लेते है जो आपसी विचार विमर्श द्वारा साझा कार्यक्रम बनाते हैं।
- चतुर्थ आम चुनावों (1967) से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई।
- 11वीं से लेकर 15वीं लोकसभा तक फिर भारत में किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला। कोई भी एक दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहा। अस्थायी सरकारों का दौर शुरू हुआ और गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई।
- वर्तमान में भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों की मुख्य तीन धाराएं हैं–1. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.), 2. (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) यू.पी.ए., 3. वामपंथी राजनीतिक दल।

अभ्यासार्थ प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न

(1) देश के प्रथम तीन आम चुनावों में जिस दल का वर्चस्व रहा वह है–

(अ) भारतीय जनता पार्टी

(ब) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

(स) भारतीय साम्यवादी दल

(द) समाजवादी दल ( )

(2) कौन से आम चुनाव के बाद गठबंधन की राजनीति का प्रारम्भ हुआ–

(अ) 1967 ई (ब) 1977 ई

(स) 1980 ई (द) 1971 ई ( )

(3) जनता पार्टी का गठन हुआ –

(अ) 1980 (ब) 1990

(स) 2000 (द)1977 ( )

(4) डा. मनमोहन की गठबंधन सरकार जिस गठबंधन की थी वह है–

(अ) वामपंथी

(ब) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन

(स) संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन

(द) राष्ट्रीय गठबंधन ( )

(5) राजनीतिक दलों की द्रष्टि से भारत में जो दलीय व्यवस्था है वह–

(अ) द्विदलीय व्यवस्था (ब) निर्दलीय व्यवस्था

(स) बहुदलीय व्यवस्था (द) एक दलीय व्यवस्था

( )

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. यू.पी.ए. गठबंधन के प्रधानमंत्री कौन रहे ?
2. जनता पार्टी के विघटन का तत्कालीन मुख्य मुद्दा क्या था ?
3. एन.डी.ए. गठबंधन में प्रधान राजनीतिक दल कौनसा है ?
4. वर्तमान में कौन से गठबंधन की सरकार है ?
5. 16वीं लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला?

लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. वर्तमान समय में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन कौन से गठबंधन है? उनमें मुख्य दल कौन से है?
2. गठबंधन की राजनीति सरकार के स्थायित्व के लिए खतरा है कैसे ?
3. क्या जनता पार्टी की सरकार एक गठबंधन सरकार थी ?
4. गठबंधन की राजनीति के कोई दो लाभ बताइए ?
5. भारतीय गठबंधन राजनीति की तीन विशेषताएं बतायें?

निबन्धात्मक प्रश्न

1. गठबंधन की राजनीति का भारतीय राजनीति पर क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े।
2. गठबंधन की राजनीति के सकारात्मक पक्ष का विश्लेषण कीजिए।

बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर

1. ब 2. ब 3. द 4. स 5. स